

इसे वेबसाईट www.govtprintmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 मई 2023—वैशाख 22, शक 1945

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं।

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं।

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम;
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

भाग १

राज्य शासन के आदेश

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 2 मई 2023

फा. क्र. 1930-2023-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को एतद्वारा, उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार उक्त पद पर पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्त पर नियुक्त करता है :—

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना
(1)	(2)
01.	श्री अंजनी नंदन जोशी, तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बैद्धन, जिला सिंगरौली।

नवीन पदस्थापना	(3)
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दमोह श्री भगवत प्रसाद पाण्डेय के स्थान पर।	

(1)	(2)	(3)
02.	श्रीमती नोरीन निगम, तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सीधी.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सतना (रिक्त पद पर).
03.	डॉ. कुलदीप जैन, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सारंगपुर, जिला राजगढ़.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, नीमच (रिक्त पद पर).
04.	श्री अवधेश कुमार (गुप्ता), विधिक सलाहकार, लोकायुक्त संगठन, भोपाल.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, डिण्डौरी में रिक्त पद पर तथा इसके साथ ही वे हर महीने 2 सप्ताह की अवधि के लिए कुटुम्ब न्यायालय, उमरिया में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे.

उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

भोपाल, दिनांक 8 मई 2023

फा. क्र. 2159-इक्कीस-ब (एक)-2023.—विधिक सेवा प्राधिकरण संशोधन अधिनियम, 1994 (1994 का संख्यांक 59) द्वारा यथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 का संख्यांक 39 की धारा 6 की उपधारा (2) को खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से श्री आलोक अवस्थी, प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिये मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, के पदेन सदस्य के रूप से नामनिर्दिष्ट करता है।

No. 2159-XXI-B(1)- 2023.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of Section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987) as amended by Legal Services Authorities (Amendment) Act, 1994 (No. 59 of 1994), the State Government in consultation with the Chief Justice of Madhya Pradesh High Court, hereby nominate Shri Alok Awasthi, Principal District Judge and Chairman, District Legal Services Authorities, Jabalpur as Ex-Officio Members of the Madhya Pradesh State Legal Services Authority for a period of two years with effect from the date assume charge.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बिनोद कुमार द्विवेदी, प्रमुख सचिव।

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2023

फा. क्र. 1784-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, इस विभाग के आदेश दिनांक 18 अप्रैल 2022 द्वारा लोकायुक्त संगठन ग्वालियर के प्रकरणों में पैरवी किये जाने हेतु नियुक्त अधिवक्ता श्री संकल्प शर्मा, विशेष लोक अभियोजक, ग्वालियर के कार्यकाल में दिनांक 19 अप्रैल 2023 से पुनः एक वर्ष की अभिवृद्धि करता है। उन्हें प्रतिमाह नियत मासिक पारिश्रमिक की राशि 55000/- रुपये तथा संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय देय होगा, पारिश्रमिक का भुगतान लोकायुक्त संगठन भोपाल द्वारा किया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास भट्टेले, अतिरिक्त सचिव।

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 मई 2023

क्र. 1130-1292582-2023-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिले का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सीहोर	सीहोर	सुश्री इक्रा मिनहाज, JMFC
2	ग्वालियर	ग्वालियर	श्रीमती रूपाली उइके, JMFC

No. 1130-1292582-2023-L-2.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act 2015 (No. 02 of 2016), the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :—

SCHEDE

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sehore	Sehore	Sushri. Iqra Minhaj, JMFC
2	Gwalior	Gwalior	Smt. Rupali Uikey, JMFC

क्र. 1132-1275732-2023-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिले का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	श्रीमती सविता वर्मा, JMFC

No. 1132-1275732-2023-L-2.—In exercise of the power conferred by sub section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 (No. 02 of 2016), the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Narsinghpur	Narsinghpur	Smt. Savita Verma, JMFC
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपाली रस्तोगी, प्रमुख सचिव.			

भोपाल, दिनांक 10 मई 2023

क्र. 1222-1292608-23-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखदेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिले का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	भोपाल	भोपाल	सुश्री श्रुति जैन, JMFC
2	दमोह	दमोह	सुश्री दिव्या रामटेके, JMFC

No. 1222-1292608-23-L-2.—In exercise of the power conferred by sub section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 (No. 02 of 2016), the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bhopal	Bhopal	Sushri. Shruti Jain, JMFC
2	Damoh	Damoh	Suhri Divya Ramteke, JMFC

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कटेसारिया, उपसचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 मई 2023

क्र. यूडीएच-4-3-5-0008-2023-अठारह-5.—राज्य शासन, एतद्वारा, भू-संपदा नियम, 2017 के नियम 32 (सी) के अंतर्गत मध्यप्रदेश भू-सम्पदा अपीलीय अधिकरण के पत्र दिनांक 22 फरवरी 2023 में दिये गये प्रस्ताव/शर्तों के अनुरूप श्रीमती जयश्री कियावत, (सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के सुपर टाइम स्केल वेतनमान) को रजिस्टर, मध्यप्रदेश भू-सम्पदा अपीलीय अधिकरण (रिएट), भोपाल के पद पर अस्थायी रूप से संविदा नियुक्ति पर पदस्थ किये जाने की अनुमति प्रदान करती है।

भोपाल, दिनांक 4 मई 2023

क्र. 841-2023-अठारह-5.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17क(1) के अंतर्गत बालाधाट विकास योजना, हेतु मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3-25-99-बत्तीस, दिनांक 30 मार्च, 1999 को निरस्त करते हुए, बालाधाट विकास योजना पुनर्विलोकन एवं संशोधन हेतु निम्नानुसार समिति का पुनर्गठन किया जाता है। यह समिति, अधिनियम की धारा 17 क(2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी :—

अधिनियम की धारा 17 (क)	पदनाम	संस्था / पता	समिति में पद	
(1) की उपधारा	(1)	(2)	(3)	(4)
(क)	सासंद सदस्य	लोक सभा क्षेत्र, बालाघाट	सदस्य	
(ख)	विधायक	विधानसभा क्षेत्र, बालाघाट	सदस्य	
(ग)	अध्यक्ष	नगरपालिका परिषद्, बालाघाट	सदस्य	
(घ)	अध्यक्ष	जिला पंचायत, बालाघाट	सदस्य	
(ड)	अध्यक्ष	नगर विकास प्राधिकरण / साडा	कोई नहीं	
(च)	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, छिन्दवाड़ा	सदस्य	
(छ)	(1) सरपंच	सरपंच ग्राम पंचायत, कोसमी	सदस्य	
	(2) सरपंच	सरपंच ग्राम पंचायत, कोलवा	सदस्य	
	(3) सरपंच	सरपंच ग्राम पंचायत, टवेझिरी	सदस्य	
	(4) सरपंच	सरपंच ग्राम पंचायत, बोदा	सदस्य	
	(5) सरपंच	सरपंच ग्राम पंचायत, आंवलाझिरी	सदस्य	
	(6) सरपंच	सरपंच ग्राम पंचायत, भरवेली	सदस्य	
	(7) सरपंच	सरपंच ग्राम पंचायत, हीरापुर	सदस्य	
	(8) सरपंच	सरपंच ग्राम पंचायत, भटेरा	सदस्य	
	(9) सरपंच	सरपंच ग्राम पंचायत, बघोली	सदस्य	
	(18) सरपंच	सरपंच ग्राम पंचायत, अमेड़ा	सदस्य	
	(11) सरपंच	सरपंच ग्राम पंचायत, बगदरा	सदस्य	
	(12) सरपंच	सरपंच ग्राम पंचायत, नवेगांव	सदस्य	
	(13) सरपंच	सरपंच ग्राम पंचायत, लिंगा (लिंगा एवं परसवाडा)	सदस्य	
	(14) सरपंच	सरपंच ग्राम पंचायत, नैतरा	सदस्य	
	(15) सरपंच	सरपंच ग्राम पंचायत, गोगलई	सदस्य	
	(16) सरपंच	सरपंच ग्राम पंचायत, खैरी	सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)
	(17) सरपंच	सरपंच ग्राम पंचायत, एकोड़ी	सदस्य
	(18) सरपंच	सरपंच ग्राम पंचायत, रेंगटोला	सदस्य
	(19) सरपंच	सरपंच ग्राम पंचायत, जागपुर	सदस्य
	(20) सरपंच	सरपंच ग्राम पंचायत, रजेगांव	सदस्य
	(21) सरपंच	सरपंच ग्राम पंचायत, अलेझरी	सदस्य
	(22) सरपंच	सरपंच ग्राम पंचायत, गर्रा	सदस्य
	(23) सरपंच	सरपंच ग्राम पंचायत, मांझापुर	सदस्य
	(24) सरपंच	सरपंच ग्राम पंचायत, कनकी	सदस्य
	(25) सरपंच	सरपंच ग्राम पंचायत, डुंगरिया	सदस्य
(ज)	(1) प्रतिनिधि	कलेक्टर, जिला बालाघाट	सदस्य
	(2) प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, बालाघाट	सदस्य
	(3) प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, बालाघाट	सदस्य
	(4) प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, बालाघाट	सदस्य
	(5) प्रतिनिधि	इंस्टिट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया	सदस्य
	(6) प्रतिनिधि	इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया	सदस्य
	(7) प्रतिनिधि	काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर	सदस्य
(झ)	समिति का संयोजक	संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जबलपुर (मध्यप्रदेश).	संयोजक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 9 मई 2023

सूचना

क्र. यूडीएच-3-0063-2022-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा पीथमपुर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2035 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(2) में उपांतरणों के साथ अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :—

- (1) आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर, मध्यप्रदेश
- (2) कलेक्टर, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश
- (3) संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, इंदौर, मध्यप्रदेश
- (4) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, पीथमपुर, जिला धारा, मध्यप्रदेश
- (5) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद्, बैटमा, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश

2. ग्राम पिपलिया मल्हार के खसरा क्र. 55/1/1 की औद्योगिक भूमि के खसरा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इंदौर द्वारा डल्ल्यू. पी. नं. 7145 / 2023 में दिनांक 4 मई 2023 को स्थगन आदेश पारित होने से उक्त के संबंध में कार्यवाही माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अद्यधीन रहेगी।

3. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 9 मई 2023

क्र. यूडीएच-03-0063-2022-अठारह-5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्रमांक-यूडीएच-03-0063-2022-अठारह-5, दिनांक 9 मई 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal, the 9th May 2023

NOTICE

No. UDH-3-0063-2021-XVIII-5.—Notice under section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan with modifications for Pithampur (Planning Area) 2035 under sub-section (2) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely :—

- (1) Commissioner, Indore division, Indore, Madhya Pradesh.
- (2) Collector, District Indore, Madhya Pradesh
- (3) Joint Director, Town & Country Planning, District Office Indore, Madhya Pradesh
- (4) Chief Municipal Officer, Nagar Palika Parishad, Pithampur, Dist. Dhar, Madhya Pradesh
- (5) Chief Municipal Officer, Nagar Parishad, Betma, Teh. Depalpur, Dist. Indore, Madhya Pradesh.

2. Regarding the industrial land of khasra No. 55/1/1 of village piplia Malhar, the Hon'ble High Court Bench, Indore has passed adjournment order dated 04/05/2023 in W. P. No. 7145/2023, action shall be as per final decision of Hon'ble Court.

3. The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette under section 19(5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

रतलाम, दिनांक 2 मार्च 2023
(अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी से भूमि क्रय नीति 2014)

क्र. 528-भू-अर्जन-23-प्र. क्र. 011-अ-82-2022-23.—एतद्वारा, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अनुभाग रतलाम शहर के रेल्वे समपार क्रमांक 81 पर सुभाषनगर रतलाम में रेल्वे ओव्हर ब्रिज निर्माण योजना अंतर्गत जिला रतलाम की तहसील शहर के प. ह. नं. 22 के ग्राम बिरियाखेड़ी के 01 खाताधारक की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 12-2-2014-सात-2 ए-भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 के तहत आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

अतः, निम्नलिखित भूमि में किसी व्यक्ति / संस्था को भूमि स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात् किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

क्र.	कृषकगण का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क्रमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)			परिसम्पत्ति का विवरण
			सिंचित	असिंचित	कुल	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	विश्वंभर, गोविन्दकुमार, ईश्वरीय प्रसाद, लक्ष्मीनारायण पिता गजाधर ब्राह्मण, निवासी जावरा रोड, रतलाम।	150/1/1क	0.0219	-	0.0219	-

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, रतलाम शहर एवं कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. सेतु, संभाग उज्जैन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 26 अप्रैल 2023

क्र.-233-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्ववस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ।

चूंकि, भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू-अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है। अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण अधिनियम की धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

भूमि का वर्णन				अनुसूची	धारा 12 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1) रीवा	(2) मनगवां	(3) ध्वेया-289	(4) 0.188	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रीवा।	(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रीवा।	(6) रीवा जिले के रघुनाथगंज से दुअरा मार्ग में बेड़िया (पकड़ियार) नदी पर जलमग्नीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर जिला रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रतिभा पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिंडोरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिंडोरी, दिनांक 4 मई 2023

क्र.-भू-अर्जन-2023-24-04-अ-82-23-24-325.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्ववस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

भूमि का वर्णन				अधिनियम की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	
(1) डिंडोरी	(2) शहपुरा	(3) कलगीटोला माल प. ह. नं. 107	(4) 107.665	(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 2, जिला मण्डला।	(6) राघवपुर बहुउद्देश्यीय परियोजना हेतु

योग . . 107.665

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—राघवपुर बहुउद्देश्यीय परियोजना के निर्माण हेतु।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्धु किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डिंडोरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-भू-अर्जन-2023-24-05-अ-82-23-24-326.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची				सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी
(1) डिंडोरी	(2) शहपुरा	(3) कलगीटोला रैयत प. ह. नं. 107	(4) 104.370	(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 2, जिला मण्डला.
योग . . 104.370				(6) राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु।

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डिंडोरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-भू-अर्जन-2023-24-07-अ-82-23-24-327.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची				सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी
(1) डिंडोरी	(2) डिंडोरी	(3) घुसिया माल प. ह. नं. 13	(4) 72.850	(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 2, जिला मण्डला.
योग . . 72.850				(6) राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु।

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डिंडोरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-भू-अर्जन-2023-24-06-अ-82-23-24-328.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

भूमि का वर्णन				अनुसूची	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिंडोरी	शहपुरा	मरवारी रैयत	62.340	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 2, जिला मण्डला.	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु.
		प. ह. नं. 107			
योग . . 62.340					

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डिंडोरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-2023-24-08-अ-82-23-24-329.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

भूमि का वर्णन				अनुसूची	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिंडोरी	डिंडोरी	घुसिया रैयत	19.260	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 2, जिला मण्डला.	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु.
		प. ह. नं. 29			
योग . . 19.260					

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डिंडोरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश
खरगोन, दिनांक 26 अप्रैल 2023

प्रारूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2013-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0012-2022-23.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-करीयापुरा, प. ह. नं. -22, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	भगवानपुरा	करीयापुरा/22	46/1/2	0.004
			46/1/1	0.006
			46/2	0.024
			49/1	0.007
			49/2/1	0.047
			59/2	0.012
			59/1	0.009
			51	0.032
			52/2/1	0.005
			52/2/2	0.009
			52/2/3	0.009
			54/1	0.008
			54/4	0.004
			18/6	0.026
			18/4	0.017
			18/3	0.002
			20/1	0.025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			19	0.019
			15	0.004
			15/118	0.039
			59/1	0.03
			59/2	0.023
			60/1/1	0.012
			60/1/2	0.024
			61/2/2	0.004
			61/2	0.013
			61/2/3	0.007
			61/3	0.006
			61/3/1	0.01
			61/6	0.01
			62/2	0.018
			62/1	0.013
		योग ..	32	0.478

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2113-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0035-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-खामखेडा, प. ह. नं. -79, तहसील गोगाँवा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	गोगाँवा	खामखेड़ा/79	18/3/1 18/1/1 21/9 21/3 5/1 5/3 6/6 6/5 7 11	0.035 0.013 0.004 0.017 0.033 0.036 0.017 0.006 0.041 0.029
		योग . .	10	0.231

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 1989-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0006-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-ग्यारसपुरा, प. ह. नं. -43, तहसील गोगाँवा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	गोगाँवा	ग्यारसपुरा/43	188/3 188/5 156	0.063 0.068 0.04

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		157/1	0.025	
		157/2	0.013	
		218/2	0.031	
		123	0.019	
		113/6	0.034	
		113/5	0.036	
		111	0.046	
		115/1	0.004	
		115/2	0.035	
		53/3/1	0.053	
		23/1	0.033	
		21/4	0.013	
		24/1	0.053	
		24/2/1	0.040	
		15	0.081	
		121/1	0.06	
		122	0.025	
		24/6	0.02	
		218/2	0.058	
		220	0.031	
		219/1/d	0.026	
		219/1/lk	0.043	
		222/1	0.006	
		229	0.042	
		231	0.027	
		228/1	0.024	
		228/2	0.02	
		227/1	0.011	
		227/2	0.007	
		226/4	0.04	
		226/3	0.035	
		226/1	0.067	
		218/1/1	0.046	
		219/3	0.066	
		220	0.033	
		222/1	0.026	
		222/3	0.063	
		229	0.009	
		225	0.118	
		222/2	0.015	
		218/2	0.017	
		8/5	0.021	
		11/1	0.03	
		12/1	0.007	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			12/2	0.007
			12/3	0.007
			12/4	0.007
			12/5	0.007
			12/6	0.008
			13/1	0.016
			13/3	0.04
			36	0.018
			37	0.003
			40	0.016
			16/8	0.004
			21/3	0.027
			226/5	0.014
		योग	60	1.854

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2012-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0013-2022-23.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगांवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-चन्दावड, प. ह. नं. -24, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम/ प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	भगवानपुरा	चन्दावड/24	1/3	0.063
			1/2	0.031
			2	0.017
			71/1	0.069
			75/2	0.042

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			77	0.04
			78	0.068
	योग ..		7	0.330

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2005-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0010-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-कुकडोल प. ह. नं. -27, तहसील गोगाँवा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोका के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये
				अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	गोगाँवा	कुकडोल/27	329/1	0.015
			324/2	0.044
			324/1/2/2	0.021
			324/1/2/1	0.022
			322/2	0.007
			322/3	0.016
			319	0.004
			318/382	0.042
			318/2	0.010
			316	0.020
			315/1	0.008
			317	0.008
			309/1	0.014
			309/2	0.022

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		310/1	0.002	
		308/9	0.016	
		329/1	0.017	
		329/2	0.027	
		329/3/1	0.008	
		330/1	0.01	
		330/2	0.012	
		333/2	0.042	
		333/4/1/2	0.046	
		340/1/2	0.007	
		346/1/1	0.036	
		342/1	0.078	
		216/4	0.032	
		212/1	0.022	
		209/2/3	0.045	
		208/2	0.012	
		208/1	0.031	
		214	0.003	
		195/1	0.007	
		195/2	0.027	
		195/3	0.015	
		195/4	0.011	
		194	0.04	
		191	0.006	
		189/2	0.01	
		182/2	0.023	
		188/1	0.015	
		188/2	0.018	
		187/1	0.013	
		187/3	0.007	
		187/2	0.017	
		186/5	0.008	
		186/4	0.008	
		186/3	0.008	
		186/2	0.007	
		186/1	0.008	
		185/1	0.019	
		185/2	0.012	
		346/1/1	0.002	
		340/1/2	0.012	
		340/1/1	0.03	
		339/1	0.015	
		338	0.015	
		236/1/2	0.023	
		235/1	0.001	
		236/1/1	0.02	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			232	0.016
			60	0.009
			22/2	0.028
			23/3	0.002
			23/2	0.007
			23/1	0.005
			24/2/1/1	0.006
			24/1	0.01
			25/3	0.008
			27/1	0.033
			379/8	0.022
			379/9	0.036
			377/4	0.009
			377/3	0.009
			377/1	0.007
			377/2	0.02
			375/5/5/2	0.012
			375/2/2	0.039
			375/5/1	0.011
	योग . .		79	1.385

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2009-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0011-2022-23.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पाप्म हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-चरी प. ह. नं. -24, तहसील गोगाँवा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	गोगाँवा	चरी/24	34 34 35/2 35/1 30 31 26/2	0.022 0.018 0.019 0.013 0.037 0.018 0.035
		योग . .	7	0.162

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 1997-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0008-2022-23.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-छटलगाँव बुजुर्ग, प. ह. नं. -62, तहसील गोगाँवा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। इकीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. मे.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	गोगाँवा	छटलगाँव बुजुर्ग/62	163/1/4 171/1 169/3 169/1 186 185/1 185/2 187/2	0.025 0.055 0.018 0.033 0.026 0.015 0.013 0.013

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			192/4	0.031
			196/1	0.031
			196/2/1	0.015
			196/2/2	0.015
			196/3	0.032
		योग . .	13	0.322

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2037-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0018-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाइ परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पाप्य हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलम्बड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-जामन्या प. ह. नं.-37, तहसील गोगाँवा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	गोगाँवा	जामन्या/37	253/1	0.018
			253/2	0.022
			253/3	0.020
			254	0.064
			250	0.025
		योग . .	5	0.149

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2085-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0030-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वेष्टन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-जामला प. ह. नं.-49, तहसील खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन जिला खरगोन मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। इककोस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	खरगोन नगर	जामला/49	120/2/1 120/3 114/5	0.028 0.025 0.023
		योग . .	3	0.076

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2001-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0009-2022-23.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वेष्टन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-डोल प. ह. नं.-34, तहसील गोगाँवा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन जिला खरगोन मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट विछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	गोगावॉ	डोल/34	60	0.012
			68/2	0.023
			68/3	0.024
			62	0.025
			63	0.003
			64	0.017
			65	0.052
			66	0.008
			71/4	0.025
			43/3/1	0.002
			43/2/3	0.006
			43/2/2	0.021
			43/2/1	0.008
			44/2	0.006
			44/1	0.031
			38/1	0.023
			38/2	0.003
			37	0.019
			35/2	0.017
			29/4	0.017
			29/3	0.014
			29/2	0.007
			29/1	0.012
			27/1	0.026
			28	0.002
			14/1	0.004
			21/3	0.025
			21/2	0.017
			12/6/2	0.049
	योग . .		29	0.498

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2097-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0033-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-ढाबला प. ह. नं.-81, तहसील खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन जिला खरगोन मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. मे.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	भगवानपुरा	ढाबला/81	56/3	0.011
			403/1	0.034
			402	0.014
			385	0.038
			181/4/1	0.03
			181/10	0.019
			181/11	0.021
			181/12	0.021
			179/13	0.017
			179/3	0.038
			179/19	0.003
			178/2	0.007
			178/3	0.02
			178/4	0.008
			203/1	0.016
			203/2/2	0.015
			213/1	0.013
			213/2	0.024
			203/2/2	0.015
			204/1/1/1	0.005

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		204/1/1/2	0.006	
		204/1/1/3	0.006	
		204/1/1/4	0.006	
		204/1/1/5	0.004	
		204/1/1/6	0.003	
		200	0.005	
		200	0.033	
		194/1	0.009	
		194/2	0.006	
		193/1	0.033	
		244/1	0.017	
		243/10	0.038	
		200	0.053	
		194/1	0.012	
		194/2	0.009	
		193/2/2	0.017	
		196	0.015	
		242/2/1/1	0.015	
		242/2/2	0.015	
		242/3	0.017	
		63	0.010	
		75	0.019	
		73/1	0.029	
		74/3/1	0.008	
		74/3/2	0.016	
		74/3/3	0.015	
		78/2	0.021	
		78/2	0.013	
		79/4	0.014	
		79/3	0.006	
		87	0.041	
		400/2	0.017	
		397/2	0.010	
		397/3	0.018	
		396/1	0.012	
		396/2/1	0.007	
		242/3	0.034	
		258/2	0.018	
		286/1/2/1	0.011	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		286/2	0.016	
		286/4	0.012	
		252	0.021	
		288/3/2	0.009	
		288/3/3	0.023	
		329	0.003	
		331/1	0.017	
		331/3	0.014	
		331/3	0.015	
		331/4	0.014	
		331/5	0.012	
		331/6	0.008	
		322/1	0.021	
		322/2	0.021	
		327/1	0.002	
		327/2	0.002	
		325	0.007	
		396/2/2	0.006	
		396/2/3	0.005	
		396/2/4	0.003	
		394/1/1	0.036	
		395/1/1	0.01	
		395/1/2	0.013	
		395/3	0.02	
		429/7	0.032	
		429/8	0.006	
		323/3/1	0.002	
		323/3/2	0.010	
		323/5/2	0.006	
		323/6/3	0.01	
		323/7	0.014	
		323/8/4	0.01	
		323/10	0.011	
	योग . .	92	1.418	

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2069-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0026-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईंजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-खतवास प. ह. नं.-49, तहसील खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोका के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. मे.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	खरगोन नगर	खतवास/49	14/2	0.019
			15/4	0.003
			19/2/2	0.010
			19/1/3	0.002
			19/1/2/2	0.031
			19/1/2/1	0.021
			24/2/2/1	0.031
			24/1/1	0.025
			24/1/3	0.012
			24/3	0.016
			54/1/1/2	0.022
			49	0.011
			50	0.004
			45	0.019
			43/1	0.022
			43/2	0.021
			39/2	0.019
			63/2/1	0.083
			76/1	0.027
			76/3	0.023

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			76/4	0.007
			76/6	0.029
			75/1	0.003
			75/2/1	0.044
			75/2/2	0.027
			84/2/1	0.007
			84/2/2	0.006
	योग . .		27	0.544

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2121-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0037-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वेष्टन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-दाउतखेड़ी प. ह. नं.-30, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। इकीसिं दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	भगवानपुरा	दाउतखेड़ी/30	147/2	0.020
			147/4	0.023
			150/1	0.024
			149/1	0.034
			156/2	0.032
			156/1/d	0.017
			157/1/4	0.019
			157/2	0.040

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		158/1	0.009	
		158/8	0.003	
		158/19	0.004	
		158/9	0.009	
		158/2	0.005	
		158/15	0.005	
		158/14	0.005	
		158/9	0.005	
		158/6	0.006	
		158/7	0.013	
		158/3	0.013	
		158/10	0.006	
		158/11	0.006	
		158/13	0.004	
		158/14	0.012	
		158/16	0.004	
		158/7	0.004	
		158/18	0.006	
		158/4/2	0.011	
		167/1	0.009	
		167/2	0.009	
		167/3	0.009	
		168/7	0.009	
		168/2	0.008	
		168/3	0.007	
		169	0.033	
		171	0.026	
		172/14	0.012	
		172/8	0.013	
		179	0.020	
		178/7	0.005	
		185/4	0.037	
		30/18/3	0.019	
		30/19/1	0.004	
		30/19/2	0.015	
		150/1	0.010	
		149/1	0.019	
		147/3	0.049	
	योग . .		46	0.652

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2125-वा-1-री-गा.-प्र.-क्र-0038-2022-23.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राइजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-दामखेडा प. ह. नं.-21, तहसील खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है,

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	भगवानपुरा	दामखेडा/21	39/2	0.051
			48/1	0.005
		योग . .	2	0.056

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2021-वा-1-री-गा.-प्र.-क्र-0014-2022-23.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राइजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-पिपरखेडा, प. ह. नं.-63, तहसील गोगाँवा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है,

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	गोगांवा	पिपरखेडा/63	10/2	0.016
			11/4	0.019
			11/2	0.010
			11/3	0.010
			12/3/2	0.018
			12/2	0.028
			12/3/1	0.009
			12/5/2	0.004
			13	0.019
			14	0.020
			15	0.033
			33/1	0.023
			33/2	0.010
			33/3	0.011
			34	0.029
			27/1	0.048
			44/2	0.087
			65/2	0.009
			65/4	0.021
			65/7	0.022
			65/8	0.018
			65/9	0.015
			65/11	0.031
	योग . .		23	0.510

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2057-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0023-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्तान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगांवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राइजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-बड़गांव, प. ह. नं.-16, तहसील गोगांवा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	गोगावॉ	बडगांव/16	2/3	0.031
			2/4	0.023
			3/1/2	0.024
			3/1/5	0.004
			4/1/1	0.019
			4/1/2	0.008
			72/1	0.014
			72/3	0.006
			72/7	0.009
			72/8/1	0.006
			72/8/2	0.005
			72/9	0.012
			73/15/7	0.007
			73/15/8	0.011
			73/15/4	0.002
			69/1	0.005
			74	0.004
			75/1	0.004
			76/2	0.004
			76/1	0.003
			80/1	0.012
			80/2	0.006
			79/1	0.021
			79/2	0.017
			79/3	0.017
			102	0.002
			101/1	0.007
			101/3	0.008

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			101/2	0.025
			152/1	0.02
			152/6	0.004
			152/2	0.015
			152/4	0.006
			152/5	0.018
			152/491	0.018
			97/2/1	0.04
			97/3/1	0.006
			423/2	0.021
			423/3/1	0.006
			423/3/2	0.006
			423/3/3	0.006
			423/3/4	0.006
			423/3/5	0.006
			423/5	0.005
			426/1/1	0.006
			426/1/2	0.009
			426/1/3	0.009
			426/2	0.015
			427/1	0.016
			427/2.	0.011
			427/3	0.01
			427/7	0.009
			427/4/1	0.022
			451/2	0.036
			451/2	0.004
			459/2	0.015
			459/1	0.032
			461	0.042
			458/3	0.044
			458/2/2	0.02
			458/2/1	0.011
			458/2/1	0.009
			457/2	0.022
			458/2/1	0.005
			458/2/2	0.011
			458/2/3	0.01
			458/2/4	0.019

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			451/2	0.009
			411/1	0.017
			411/2	0.017
			411/3	0.011
			411/7	0.01
			397/1/1	0.008
			396/2/3	0.013
			396/2/1	0.01
			396/2/2	0.016
			396/4	0.019
			392/2	0.023
			392/1/2	0.049
			152/5	0.008
			154	0.003
			155	0.014
			156/1	0.021
			171/1	0.009
			171/2	0.016
			172/2/3	0.004
			173/1	0.008
			229	0.001
			230/1	0.014
			234	0.009
			236	0.017
			239/1	0.002
			239/2/2	0.005
			351/1/2	0.014
	योग . .		94	1.233

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप “ख”
[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2049-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0021-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्तान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगांवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-बन्हेर, प. ह. नं.-23, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	भगवानपुरा	बन्हेर/23	269	0.063
			270/1	0.026
			268/7	0.028
			268/1/1	0.014
			268/1/2	0.068
			267	0.05
			273/311/1	0.027
			273/311/2	0.03
			273/311/3	0.037
			274	0.023
			251/1	0.028
			251/2	0.032
			249/5	0.046
			248/3	0.016
			248/2	0.019
			247/2	0.008
			247/1	0.029
			229/1	0.012
			223/1	0.035
			223/4	0.006
			223/3	0.032
			221	0.008
			215	0.011
			214/1	0.032
			214/3	0.026
			213/1	0.02
			181	0.02
			185	0.009
			186	0.007
	योग . .		29	0.762

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2053-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0022-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगांवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-बन्हुर, प. ह. नं.-19, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। इककीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	भगवानपुरा	बन्हुर/19	110/1	0.016
			98/2	0.039
			98/1	0.053
			113	0.024
			93/1	0.025
			89/3	0.009
			15/1/4	0.004
			15/1/3	0.013
			14/1/1	0.012
			16/1/1	0.037
			28/1/1	0.014
			28/1/2	0.016
			24/3	0.011
			24/4/1	0.032
			43/3	0.003
			43/8/2	0.014
			43/4	0.02
			43/5	0.004
			43/6	0.031
			69/3	0.018

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			69/4	0.005
			61/12	0.003
			62/8	0.002
			62/7	0.009
			62/6	0.009
			62/5	0.007
			62/4	0.004
			68/1	0.015
			68/4	0.008
			57/2	0.009
		योग . .	30	0.466

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2033-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0017-2022-23.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगावा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भावानगुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-बालापुर, प. ह. नं.-48, तहसील गोगावा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	गोगावा	बालापुर/48	11/1	0.123
			12/3	0.059
			14/1/1	0.031
			14/2/1	0.027
			14/2/2	0.037

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			15/3	0.019
			15/4	0.018
			15/5	0.018
			15/6/1	0.025
			15/6/2	0.018
			15/6/4	0.011
			22/1	0.05
			23/2	0.019
			23/1	0.042
			27/65/1	0.071
			26/1	0.095
			33/1	0.04
			33/3	0.023
			33/2	0.048
			31/2	0.04
		योग . .	20	0.814

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2105-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0003-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वेष्टन सिंचाइ परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-बासखेडी, प. ह. नं.-21, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितवद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	भगवानपुरा	बासखेडी/21	47/51/4	0.003
			48/2	0.016
			48/1	0.016

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			49/2	0.003
			49/1	0.03
	योग . .		5	0.068

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुबिभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2061-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0024-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगांवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-बिस्टान, प. ह. नं.-35, तहसील गोगांवा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोका के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। इककीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुबिभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	गोगांवा	बिस्टान/35	123/3/2/2	0.035
			123/4/1	0.008
			123/2/1	0.008
			123/1	0.012
			124/2	0.016
			124/1	0.01
			124/3	0.011
			124/4	0.019
			114/1	0.031
			113/1	0.045
			111/2	0.024
			111/1	0.022
			132/3/1	0.013
			132/3/2	0.014

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		111/4	0.001	
		106/1	0.008	
		106/2	0.02	
		105/1	0.038	
		105/2	0.016	
		104/3	0.013	
		100/6	0.012	
		100/5	0.01	
		100/7	0.014	
		100/2	0.002	
		100/4	0.004	
		99/2	0.019	
		99/1/2	0.018	
		45/2/1	0.005	
		46/2	0.023	
		46/1/1	0.007	
		47/1	0.011	
		47/2	0.035	
		48/1	0.004	
		62/2	0.026	
		62/3/1	0.022	
		62/3/2/3	0.006	
		62/3/2/2	0.016	
		62/3/2/1	0.002	
		61/1	0.014	
		60/2	0.03	
		60/3	0.01	
		60/339/4	0.01	
		100/1	0.013	
		62/3/2/1	0.001	
		8	0.039	
		7/3	0.038	
		7/4	0.015	
		6/1/2	0.034	
		23/2	0.009	
		23/1	0.009	
	योग . .	50	0.822	

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 1985-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0005-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-भसनेर, प. ह. नं.-48, तहसील खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)	
				(4)	(5)
(1) खरगोन	(2) खरगोन नगर	(3) भसनेर/48	149/2	0.037	
			149/1	0.034	
			148/2	0.022	
			148/1/1	0.012	
			131/1/1	0.016	
			132/1	0.025	
			132/2	0.026	
			133	0.012	
			106	0.012	
			106	0.017	
			109/2	0.012	
			110	0.032	
			108/3	0.020	
योग . .				13	0.277

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2081-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0029-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-भातुड, प. ह. नं.-24, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। इकीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम/ प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	भगवानपुरा	भातुड/24	38/1	0.026
			37	0.011
	योग . .		2	0.037

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2109-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0034-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पाप्य हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोराँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाइ जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-भानपुरा, प. ह. नं.-19, तहसील खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। इकीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	खरगोन नगर	भानपुरा /19	27	0.016
			35	0.085
			30/2/1	0.036
			31	0.001

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			32/1	0.025
			32/2	0.025
			32/3	0.025
			3/1/1	0.012
		योग . .	8	0.225

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2101-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0004-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगांवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-महारेल, प. ह. नं.-32, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	भगवानपुरा	महारेल /32	27/1	0.044
			48/2	0.003
			48/3	0.021
			48/4	0.023
			47/2	0.006
			47/1	0.003
			49/1	0.025
			49/5	0.012
			49/6	0.006
			55/1	0.040
			56	0.004
			75	0.049
			76/2	0.022

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		76/1	0.012	
		80/5	0.010	
		92/1	0.005	
		92/2	0.007	
		83/1/2	0.013	
		84/1	0.022	
		84/2	0.035	
		80	0.004	
		89/1	0.011	
		89/6	0.002	
		144/2	0.033	
		144/3/2	0.019	
		83/1/1	0.024	
		144/1/1	0.011	
	योग . .	27	0.673	

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2073-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0027-2022-23.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाइ परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पर्याप्त हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाइ जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-महुकुण्डया, प. ह. नं.-49, तहसील खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाइ जाए।

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोका के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	खरगोन नगर	महुकुण्डया /49	9/1/2	0.009
			9/1/1	0.043
			11	0.01
			8/2	0.018
	योग . .		4	0.080

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2117-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0036-2022-23.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्ट्यन उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भावानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-महुमांडली, प. ह. नं.-36, तहसील गोगाँवा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। इककोस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	गोगाँवा	महुमांडली/36	154/1	0.009
			154/2	0.009
			150/2	0.006
			136/4	0.027
			136/3	0.016
			136/2	0.012
			136/1	0.029
			132/6	0.013
			132/5	0.007
			133	0.004
			131	0.023
			128	0.036
			123/1	0.015
			123/2	0.013
			123/3	0.011
			123/4	0.013
			123/5	0.03
			22/4	0.035
			22/5	0.003
			24/5	0.029
			24/6	0.037
			24/10	0.018
			25	0.043

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		5/12	0.003	
		7/3	0.022	
		7/2	0.011	
		7/1	0.027	
		6/7	0.022	
		6/2	0.021	
		5/14	0.013	
		5/4	0.054	
		42/5	0.01	
		119/3/1	0.045	
		119/6	0.01	
		119/5	0.017	
		116/8	0.017	
		115/7	0.018	
		115/6	0.018	
		115/5	0.009	
		115/4	0.009	
		112	0.033	
		93/2	0.007	
		93/1	0.011	
		34/4/3	0.032	
		88	0.002	
		86	0.023	
		85/1	0.002	
		60/1	0.028	
		58/4	0.015	
		58/3/1	0.015	
		53/2	0.017	
		53/3	0.015	
		119/3/1	0.003	
		119/7	0.043	
		114/1	0.021	
		178/1	0.042	
		179/2	0.018	
		180	0.028	
		181/1	0.016	
		108/2	0.018	
		108/3	0.033	
		101/1	0.012	
		95/2	0.023	
		96/228/1	0.027	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		96/228/2		0.021
		96/2		0.033
		98/2		0.004
		98/1		0.016
		53/1/1		0.014
		53/1/2		0.014
		53/1/3		0.014
		53/1/4		0.014
	योग . .		74	1.400

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2041-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0019-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-मेहरघटटी, प. ह. नं.-52, तहसील गोगाँवा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबढ़ है, उस तरीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	गोगाँवा	मेहरघटटी/52	5/4 9 19/3 19/4	0.0128 0.066 0.005 0.034

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			19/5	0.031
			22	0.021
			82/7	0.015
			107/2/1	0.023
			107/2/2	0.026
			93/1/3	0.031
			93/2/5	0.028
			101	0.021
			93/2/11	0.041
			95/9	0.008
			96/257/1	0.02
			96/257/2	0.026
			96/257/3	0.008
			5/4	0.014
			5/3	0.019
			5/2	0.019
			5/1	0.017
			4/2	0.009
			4/1	0.009
			3/2	0.009
			3/1	0.008
			2/5	0.022
			2/3	0.017
			12/1/1	0.052
			12/1/3	0.035
			12/1/2	0.067
			2/3	0.009
			12/1/1	0.022
			10/1	0.014
			10/2/1	0.011
			10/2/2	0.009
			10/4/1	0.021
			10/3	0.013
			10/5/1	0.012
			10/5/2	0.013
			10/8	0.023
			14/2	0.016
			14/1/1	0.028

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			207/2/5	0.02
			207/2/1	0.025
			207/2/2	0.026
			207/5/2	0.026
			24/4	0.041
			47/1	0.008
			46/1/1	0.002
			47/2	0.033
			46/1/2	0.017
			46/2	0.004
			48/2	0.013
			48/4	0.009
			45	0.019
			43	0.023
			42/2	0.033
			155/2	0.009
			155/3	0.011
			160	0.007
			161	0.05
			164	0.019
			168	0.017
			189/2	0.05
			190	0.014
			189/3	0.023
			201	0.038
			200/1	0.004
			203/1	0.008
			245/10	0.05
			194/1/2	0.033
			194/5	0.006
			194/2	0.003
			189/3	0.021
			190	0.02
	योग		75	1.702

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2025-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0015-2022-23.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगांवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-यशवन्तगढ़, प. ह. नं.-24, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :

—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	भगवानपुरा	यशवन्तगढ/24	32/1	0.05
			31/3	0.044
			31/2	0.053
			30/3	0.032
			27/2	0.045
			27/3	0.059
			25/3	0.015
			25/4	0.053
			22/3	0.008
			22/1	0.022
			23/5	0.012
			23/4	0.011
			23/3	0.019
			20/8	0.032
			20/4	0.02
			20/7	0.007
			20/2	0.041
			20/3	0.015
			20/5	0.044
			32/1	0.018
			32/2	0.015
			32/3	0.012

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		32/4	0.02	
		32/7	0.007	
		32/8	0.007	
		32/10	0.012	
		32/19	0.009	
		32/18	0.011	
		36/1/3	0.025	
		36/1/1	0.063	
		36/2	0.011	
		36/9	0.011	
		36/12	0.011	
		36/11/1	0.022	
		46/1	0.017	
		46/2/1	0.019	
		46/3	0.014	
		44/1	0.025	
		44/2	0.008	
		44/3	0.008	
		44/4	0.008	
		43/9	0.008	
		43/6	0.018	
		43/4	0.01	
		41/1	0.021	
		40	0.034	
		38/8	0.027	
		38/9	0.006	
		38/9	0.007	
		38/6	0.02	
		38/5	0.01	
		27/2	0.008	
		27/2	0.021	
		27/1	0.031	
		50/1	0.023	
		50/2	0.022	
		34/2	0.012	
		34/5	0.018	
		34/3	0.018	
		34/4	0.016	
		47/2	0.066	
		योग . .	61	1.331

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2089-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0031-2022-23.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वेष्टन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगावां से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-रसगांगली, प. ह. नं.-32, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोका के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। इकाई दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. मे.)	
				(4)	(5)
(1)	(2)	(3)	(4)		
खरगोन	भगवानपुरा	रसगांगली/32	26/1	0.02	
			26/3	0.018	
			25/3	0.011	
			28/1	0.011	
			28/3	0.015	
			28/2	0.004	
			28/8	0.004	
			28/7	0.008	
			38/1/1	0.006	
			38/4	0.005	
			38/5	0.006	
			38/6	0.005	
			38/3/2	0.007	
			38/2	0.024	
			39/2/2	0.024	
			39/3	0.010	
			115	0.015	
			114/1	0.017	
			114/4	0.024	
		योग . . .	19	0.234	

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2029-वा-1-री-गा.-प्र.-क्र-0016-2022-23.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगावाँ से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भावानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-राजपुरा, प. ह. नं.-25, तहसील गोगावाँ, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। इकोइस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. मे.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	गोगावाँ	राजपुरा/25	69/1	0.027
			71	0.030
			77/2	0.031
			79/1	0.011
			79/2	0.011
			79/3	0.012
			79/4	0.013
			79/5	0.013
			83/1	0.021
			83/2	0.001
			83/3/1/1	0.003
			81/3	0.002
			81/4	0.008
			81/5	0.008
			82	0.018
			85/2	0.010
			85/3	0.013
			85/4	0.008
			88/2	0.030
			98	0.011
			99/1	0.007
			99/2	0.009
			101/1	0.007

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		104/1	0.020	
		104/2	0.016	
		110/1/3	0.014	
		110/1/2	0.024	
		110/1/1	0.005	
		115/2	0.001	
		136	0.015	
		135	0.004	
		133/5	0.003	
		133/4	0.004	
		133/3	0.003	
		133/2	0.002	
		138/2	0.010	
		267/3	0.014	
		266	0.017	
		271/2	0.018	
		271/3	0.016	
		258	0.029	
		331	0.021	
		333	0.003	
		335	0.003	
		338	0.007	
		354	0.014	
		355	0.044	
		357/4	0.022	
		356	0.041	
		85/2	0.018	
		85/1	0.023	
		83/3/2	0.004	
		65/2	0.014	
		52	0.009	
		65/2	0.003	
		51/2/1	0.018	
		54	0.008	
		7/1	0.023	
		8	0.002	
		9/4/3	0.029	
		9/2	0.017	
		10/2	0.006	
		9/1	0.020	
	योग	63	0.868	

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2093-वा-1-री-गा.-प्र.-क्र-0032-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगांवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-लोनारा, प. ह. नं.-20, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। इकोइस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	भगवानपुरा	लोनारा/20	64/4	0.013
			64/2	0.039
			64/3	0.018
			65/1	0.023
			65/3	0.017
			62/1/1	0.033
			62/1/2	0.003
			61/1	0.026
			57/1	0.008
			57/2	0.029
			57/2	0.013
			73/3	0.018
			73/2	0.034
			73/2	0.024
			73/1	0.022
			72/3/1	0.019
			75/2	0.017
			75/3	0.037
			75/4	0.032
	योग . .		19	0.425

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप “ख”
[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 1993-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0007-2022-23.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक विछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-अनकबाडी, प. ह. नं.-20, तहसील खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोका के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। इककीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	भगवानपुरा	अनकबाडी/20	104	0.025
			103/3	0.009
			103/2/3	0.007
			103/2/2	0.008
			103/2/1	0.006
			103/5	0.009
			102/4	0.007
			102/3	0.010
			101/3	0.011
			101/1	0.011
			99/3/1	0.008
			99/3/3	0.020
			99/4	0.010
			116/2/2	0.023
			99/6	0.018
			116/2/3	0.025
			114/1	0.026
			125/5	0.045
			125/1/2	0.033
			126/1/1/3	0.016
			126/1/1/1	0.005
			126/1/2	0.023
			127/14	0.004
			127/6/1	0.019
			127/6/2	0.016
			128/5	0.044
			115/1	0.007
				0.020
		योग . .	28	0.465

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2077-वा-1-री-गा.-प्र.-क्र-0028-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँव से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-कन्डपुरा, प. ह. नं.-63, तहसील गोगाँव, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोका के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	गोगाँव	कन्डपुरा/63	3/3	0.032
			4/2	0.031
			4/1	0.014
			4/3	0.016
			5/1	0.018
			5/2	0.017
			11/1/1	0.036
			34/2	0.007
			34/3	0.012
			34/4	0.010
			33/1	0.016
			32	0.046
			37/3	0.002
			37/2/1	0.004
			37/2/2	0.005
			37/2/3	0.006
			38/1	0.014
			38/2	0.016
			46/1	0.033
			49	0.010
			44	0.029
			30/1	0.006
	योग . .		22	0.380

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2065-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0025-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगावा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-उदयपुर, प. ह. नं.-26, तहसील गोगावा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। इककीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	गोगावा	उदयपुर/26	20/2 20/3 20/1 34/4 31/4 29/3 29/2 29/1	0.047 0.018 0.016 0.028 0.011 0.017 0.035 0.008
		योग	8	0.180

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

ओम नारायण सिंग, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

विधि और विधायी कार्य वभाग

भोपाल, दिनांक 10 मई 2023

फा.क्र. 1908-1/21-ब(दो), राज्य शासन, एतद्वारा इस विभाग के पूर्व आदेश क्र. 1525-अ/21-ब(दो) दिनांक 09.04.2020 को अधिकृत करते हुये, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय नई दिल्ली में निम्नानुसार विधि पदाधिकारियों को एक वर्ष के लिए, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित सेवा शर्तों पर, जो राज्य शासन द्वारा आगे निरंतर की जा सकेगी या बिना कोई कारण बताये तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, निर्धारित निश्चित पारिश्रमिक मात्र पर नियुक्त करता है :-

अतिरिक्त महाधिवक्ता, नई दिल्ली

1.	Mr. Dhirendra Singh Parmar
2.	Mr. Saurabh Mishra
3.	Mr. Joydip Roy
4.	Ms. Ankita Chaudhary.
5.	Nachiketa Joshi

उप महाधिवक्ता, नई दिल्ली

1.	Mr. V.V.V.M.B.N.S. Pattabhiram
2.	Mr. Veer Vikrant Singh
3.	Smt. Anuradha Mishra
4.	Mr. Harmeet Singh Ruprah

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन (14) कानूनी सलाहकार और परिषद् (3428) महाधिवक्ता-01-वेतन-001-अधिकारियों वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा।

फा. क्र. 1908/21-ब(दो), राज्य शासन, एतद् द्वारा इस विभाग के आदेश क्र. 1374 दिनांक 28.03.2023 द्वारा अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय ग्वालियर में नियुक्त श्री यश राज बुंदेला, शासकीय अधिवक्ता (सम्बद्ध नई दिल्ली) को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करते, उनके स्थान पर श्री प्रमोद ठाकरे, अधिवक्ता (2380/1996), को अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय ग्वालियर में शासकीय अधिवक्ता के पद पर नियुक्ति दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये, जो राज्य शासन द्वारा आगे निरंतर की जा सकेगी या बिना कोई कारण बताये तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित सेवा शर्तों के अधीन नियुक्त करते हुये, श्री प्रमोद ठाकरे, शासकीय अधिवक्ता ग्वालियर को महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर में सम्बद्ध करता है।

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन (14) कानूनी सलाहकार और परिषद् (3428) महाधिवक्ता-01-वेतन-001-अधिकारियों वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा।

F.No. 2206/21-B(1)/2023,- In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No.4 of 2009), the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in this department's Notification F.No. 17(E) 43-2009-2251-XXI-B(I) / 13, dated 10th May, 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 24th May, 2013, Namely:-

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial numbers 5, 13, 27, 28, 33, 42, 62, 75, 83, and 86 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :-

TABLE

S.No	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Punchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)		
“5.	Shri Akhilesh Chandak, IV th Civil Judge Junior Division, Ashoknagar.	Ashoknagar	Ashoknagar	Ashoknagar	Ashoknagar
13.	Shri Nitendra Singh Tomar, XXII Civil Judge Senior Division, Bhopal	Bhopal	Bhopal	Bhopal	Bhopal
27.	Shri Narendra Kumar Bhandari, I Civil Judge Senior Division, Mnawar (Dhar)	Mnawar (Dhar)	Mnawar (Dhar)	Mnawar (Dhar)	Mnawar (Dhar)
28.	Shri Utkarsh Raj Soni, III Civil Judge Junior Division, Dindori	Dindori	Dindori	Dindori	Dindori
33.	Shri Ashish Kumar Keshrwani, III Civil Judge Senior Division, Dabra (Gwalior)	Dabra	Gwalior	Dabra	Dabra
42.	Shri Nadeem Javed Khan, VII Civil Judge Junior Division, Katni	Katni	Katni	Katni	Katni

F.No. 1909/21-B(II)/2023. In supersession of this department's order no. 2828/21-B(II)/2020 dated 9th April, 2020 and order no. 1711/1423/21-B(II)/2021 dated 7th April, 2021, the State Government is hereby pleased to appoint Smt. Mrinal Elkar Mazumdar, Advocate Supreme Court New Delhi, Sh. Pashupati Nath Razdan, Advocate Supreme Court New Delhi, Sh. Sunny Choudhary, Advocate Supreme Court New Delhi and Sh. Yashraj Singh Budela, Government Advocate Hon'ble High Court of Gwalior as Standing Counsel for the State of Madhya Pradesh to represent the state in the Supreme Court of India, other Courts, Tribunals & Forums at New Delhi from the date of this order. Their appointment can be terminated by the State Government any time without assigning any reason. Terms & conditions of his appointment shall be as per this department's order No. 1(A)7/2005/21-B(II), Dated 4th July, 2012. The expenditure on this account will be debited to Grant 29-2014-Administration of Justice-(114)-Legal Advisors and Counsel (6251)-Fees and other payments to Advocates of the High Court/Supreme Court (31)-Payment of Professional Services (003)-Fees to pleader.

भोपाल, दिनांक 11 मई 2023

फा.क्रमांक 2136 / इक्कीस-ब(एक) / 2023, मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम, 2012 (क्रमांक 8 सन् 2012) के नियम 8 के उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतदद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 17(ई)8-2012 / इक्कीस-ब(एक)- 3317-2021, दिनांक 3 सितम्बर, 2021 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 10 सितम्बर, 2021 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुक्रमांक 1 तथा 3 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

सारणी

क्रं.	प्राधिकृत अधिकारी के नाम	मुख्यालय का स्थान	क्षेत्राधिकार
"1.	श्री पंकज कुमार जैन, बीसवे जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश	विशेष न्यायालय क्रमांक 1, भोपाल	राजस्व जिला विदिशा, बैतूल, नर्मदापुरम एवं हरदा को समाविष्ट करने वाला क्षेत्र
3.	श्री यशवंत मालवीय, चौबीसवे जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश	विशेष न्यायालय क्रमांक 1, जबलपुर	सागर, दमोह, पत्रा, छतरपुर, टीकमगढ़, सतना, उमरिया, डिंडोरी, शहडोल और अनूपपुर।"

F.No-2136/21-B(1)/2023- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of rule 8 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayala Adhiniyam, 2012, the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in this department's Notification No. F.No. 17(E)8-2012-/XXI-B(One)3317-2021, dated 3rd September, 2021 which was published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra-Ordinary) dated 10th September, 2021, namely:

(Amendment)

In the said Notification, for serial number 1 and 3 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

TABLE

S. No	Name of Authorized Officer	Place of Headquarter	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)
“1.	Shri Pankaj Kumar Jain, XX th District and Additional Sessions Judge	Special Court No. 1, Bhopal	Area comprising of Revenue Districts Vidisha, Betul, Narmadapuram & Harda
3	Shri Yashwant Malviya, XXIV th District and Additional Sessions Judge	Special Court No. 1, Jabalpur	Sagar, Damoh, Panna, Chhatarpur, Tikamgarh, Satna, Umaria, Dindori, Shahdol and Anuppur.”

फा.क्रमांक 2138 / 21-ब(एक) / 2023,- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतदद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब(1) 3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर, 2013, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-एक में दिनांक 20 सितम्बर, 2013 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 1, 2 तथा 3 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

सारणी

क्रं.	जिले का नाम	विशेष न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम
(1)	(2)	(3)
" 1	छतरपुर	श्री महरबान सिंह मीना, छठवे जिला एवं अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर
2	मंडला	श्री बृजेश गोयल, पांचवे जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मंडला
3	मंडलेश्वर	श्री शमरोज खान, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश के न्यायालय से प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मंडलेश्वर।

2. ये संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होंगे जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें।

F-No. 2138/21(B-I)/2023,-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the state Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this department's notification F-No. B(1)3476-2013, dated 11th September, 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 20th September, 2013, Namely:-

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial number 1, 2 and 3 and entries relating thereto, the following serial numbers and entry relating thereto shall be substituted, namely:-

TABLE

S.No.	Name of District	Name and Designation of Special Judge
(1)	(2)	(3)
"1.	Chhatarpur	Shri Naresh Meharbaan Singh Meena, VI District & Additional Sessions Judge, Chhatarpur
2	Mandla	Shri Brajesh Goyal, V th District and Additional Sessions Judge, Mandla.
3	Mandleshwar	Shri Shamroz Khan, Special Judge Sc/St (P.A.) Act & I Additional Judge to the Court of 1 District and Additional Sessions Judge, Mandleshwar.

2. These amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

फा.क्रमांक 2139/21-ब(एक)/2023,- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतदद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा.क्रमांक ब(1) 3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर, 2013, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-एक में दिनांक 20 सितम्बर, 2013 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 19, 26 तथा 39 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

सारणी

क्रं.	जिले का नाम	विशेष न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम
(1)	(2)	(3)
"19.	झाबुआ	श्री विवेक सिंह रघुवंशी, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, और प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, झाबुआ न्यायालय, के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश
26.	पन्ना	श्री इंद्रजीत रघुवंशी, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पन्ना
39.	सीधी	श्री मुकेश कुमार, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सीधी।"

2. ये संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होंगे जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें।

F-No. 2139/21(B-I)/2023,-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the state Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this department's notification F-No. B(1)3476-2013, dated 11th September, 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 20th September, 2013, Namely:-

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial number 19, 26 and 39 and entries relating thereto, the following serial numbers and entry relating thereto shall be substituted, namely:-

— TABLE —

S.No.	Name of District	Name and Designation of Special Judge
(1)	(2)	(3)
“19.	Jhabua	Shri Vivek Singh Raghuvanshi, Special Judge, Scheduled Castes, Secheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act and 1 st Additional Judge to the Court of 1 ST District and Additional Sessions Judge, Jhabua.
26.	Panna	Shri Indrajeet Raghuvanshi , II nd District and Additional Sessions Judge, Panna
39.	Sidhi	Shri Mukesh Kumar, I st District and Additional Sessions Judge, Sidhi.”

2. These amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

फा.क्रमांक 2158 / 21-ब(एक) / 2023,— राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतदद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब(1) 3476—2013, दिनांक 11 सितम्बर, 2013, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग—एक में दिनांक 20 सितम्बर, 2013 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 24 तथा 44 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी

क्रं.	जिले का नाम	विशेष न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम
(1)	(2)	(3)
“24.	नरसिंहपुर	श्री युगल रघुवंशी, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर
44.	उज्जैन	श्री अभिषेक नागराज, तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, उज्जैन।”।

2. ये संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होंगे जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें।

F-No. 2158/21(B-I)/2023,-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the state Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this department's notification F-No. B(1)3476-2013, dated 11th September, 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 20th September, 2013, Namely:-

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial number 24 and 44 and entries relating thereto, the following serial numbers and entry relating thereto shall be substituted, namely:-

TABLE

S.No.	Name of District	Name and Designation of Special Judge
(1)	(2)	(3)
“24.	Narsinghpur	Shri Yugal Raghuwanshi, , II nd District and Additional Sessions Judge, Narsinghpur.
44.	Ujjain	Shri Abhishek Nagraj, III rd District and Additional Sessions Judge, Ujjain.

2. These amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

फा.क्र. 2195 / 21-ब(एक) 2023, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का सं.49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, और इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा. क्रमांक 1 / 5 / 96 / 21-ब(एक) 2051 / 2016, दिनांक 06 जून, 2016 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 17 जून, 2016 को प्रकाशित हुई थी, को 2016 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 17 जून, 2016 को प्रकाशित हुई थी, को आंशिक अतिष्ठित करते हुए तथा 1 / 5 / 96 / 21-ब(एक) 2252 / 2020, दिनांक 31 अगस्त, 2020 मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में 11 सितम्बर, 2020 को प्रकाशित हुई थी, को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतदद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश को उसके कॉलम (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्टि संबंधित क्षेत्र के लिए विशेष न्यायाधीश श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, बीसवें अपर सेशन न्यायाधीश, भोपाल के स्थान पर भ्रष्टाचारा निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अपराधों के एवं उन अपराधों का विचारण हेतु जिनका अन्वेषण दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का सं.25) के अधीन किया गया हो एवं जो सत्र न्यायाधीश द्वारा उन्हें सौंपे गये हो, विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है,

सारणी

अनुक्रमांक	न्यायाधीश का नाम	मुख्यालय का नाम	विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)
"1	श्री धर्मेश भट्ट, चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भोपाल	भोपाल	भोपाल, सीहोर, रायसेन, ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी, दतिया, टीकमगढ़, विदिशा, छतरपुर, बैतूल, नर्मदापुरम, गुना, राजगढ़, हरदा, श्योपुर एवं अशोकनगर।"

F.N. 2195/XXI-B(one)/2023, In exercise of the powers conferred by sub-section (1) section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988) and in partial supersession of this departments Notification No. 1/5/96/21-B(1)/2051/2016, dated 06th June, 2016, which was published in the Madhya Pradesh gazette Part-1 dated 17th June 2016 & in supersession of this departments Notification No. 1/5/96/21-B(1)/2252/2020, dated 31st August, 2020, which was published in the Madhya Pradesh gazette Part-1 dated 11th September, 2020, the State Government,

with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, appoints the Additional Sessions Judge specified in column (2) of the table below to be the Special Judge for respective area specified in the corresponding entry in column (3) thereof in place of Shri Rajendra Kumar Sharma, XXth Additional Sessions Judge, Bhopal to try the cases relating to the offences specified under sub-section (1) of section 3 of the said Act and those investigated under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (No. 25 of 1946) by the Delhi Police and the Central Bureau of Investigation and which are specifically assigned to them by the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur or by the District and Sessions Judge of the Concerned District, as the case may be.

TABLE

S. No.	Name of Judge	Head Quarter	Jurisdiction of Special Court
(1)	(2)	(3)	(4)
"1.	Shri Dharmesh Bhatt, IV th District & Additional Sessions Judge, Bhopal	Bhopal	Bhopal, Sehore, Raisen, Gwalior, Bhind, Morena, Shivpuri, Datia, Tikamgarh, Vidisha, Chhatarpur, Betul, Narmadapuram, Guna, Rajgarh, Harda, Sheopur and Ashoknagar."

फा. क्रमांक 2196 /21-ब(एक)/2023, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई) 83-03-इक्कीस-ब(एक)-5846-2018, दिनांक 7 दिसम्बर, 2018, जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 21 दिसंबर 2018 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 24, 25 तथा 26 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत क्षेत्र के अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)
"24.	दमोह	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, दमोह	सिविल जिला दमोह का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 26 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)
25.	दमोह	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, दमोह	(अनुक्रमांक 24 में दर्शित विशेष न्यायालय में तेदुखेडा एवं पथरिया का विद्युत क्षेत्र सम्मिलित किया जा रहा है।)
26.	दमोह	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, हटा	हटा का विद्युत क्षेत्र ।"

F. No. 2196/21-B(One)/2023 In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)83/03/XXI-B(1)/5846/2018 dated 7th December, 2018, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-I dated 21st December, 2018, namely :-

Amendment

In the said Notification, in the table, for serial number 24, 25 and 26 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :-

TABLE

S.No	Name of Civil District	Name of Special Court	Territorial jurisdiction of the Special Court (According to Electricity Area)
(1)	(2)	(3)	(4)
"24.	Damoh	Additional Sessions Judge, Damoh	All Electricity Area of Civil District Damoh (excluding the territorial jurisdiction given at serial no. 26)
25.	Damoh	Additional Sessions Judge, Damoh	Electricity Area of Tendukheda and Patharia is being included in the Special Court shown at Serial No. 24
26.	Damoh	Additional Sessions Judge, Hatta	Electricity Area of Hatta."

फा. क्रमांक 2206/21-ब(एक)/2023, ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतदद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा.क्रमांक 17(ई) 43-2009-2251-इक्कीस-ब(एक)/13, दिनांक 10 मई, 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 मई 2013 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में अनुक्रमांक 5, 13, 27, 28, 33, 42, 62, 69, 75, 83 तथा 86 एवं उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

सारणी

क्र.	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थल	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
"5.	श्री अखिलेश चांडक, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, अशोकनगर	अशोकनगर	अशोकनगर	अशोकनगर	अशोकनगर

क्र.	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थल	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
13.	श्री नितेन्द्र सिंह तोमर, बारहवे व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, भोपाल	भोपाल	भोपाल	भोपाल	भोपाल
27.	श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, मनावर (धार)	मनावर	धार	मनावर	मनावर
28.	श्री उत्कर्ष राज सोनी, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, डिण्डोरी	डिण्डोरी	डिण्डोरी	डिण्डोरी	डिण्डोरी
33	श्री आशीष कुमार केशरवानी, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, डबरा (गवालियर)	डबरा	गवालियर	डबरा	डबरा
42.	श्री नदीम जावेद खान, सातवे व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, कटनी	कटनी	कटनी	कटनी	कटनी
62.	श्री विश्व दीपक तिवारी, सातवे व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, सतना	सतना	सतना	सतना	सतना
69.	श्रीमती प्रगती मित्रा सनमोरिया, व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, जयसिंहनगर, शहडोल	जयसिंहनगर	शहडोल	जयसिंहनगर	जयसिंहनगर
75.	श्री दीपक कुमार अग्रवाल, व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, मझौली (सीधी)	सीधी	सीधी	सीधी	सीधी
83.	श्री विजय कुमार पाण्डेय (जू.) तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, विदिशा	विदिशा	विदिशा	विदिशा	विदिशा
86.	श्री राकेश भिडे, व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, भीकनगांव (मण्डलेश्वर)	भीकनगांव	मण्डलेश्वर	भीकनगांव	भीकनगांव

F.No. 2206/21-B(1)/2023,- In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No.4 of 2009), the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in this department's Notification F.No. 17(E) 43-2009-2251-XXI-B(I) / 13, dated 10th May, 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 24th May, 2013, Namely:-

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial numbers 5, 13, 27, 28, 33, 42, 62, 75, 83, and 86 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :-

TABLE

S.No	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Punchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)		
“5.	Shri Akhilesh Chandak, IV th Civil Judge Junior Division, Ashoknagar.	Ashoknagar	Ashoknagar	Ashoknagar	Ashoknagar
13.	Shri Nitendra Singh Tomar, XXII Civil Judge Senior Division, Bhopal	Bhopal	Bhopal	Bhopal	Bhopal
27.	Shri Narendra Kumar Bhandari, I Civil Judge Senior Division, Mnawar (Dhar)	Mnawar (Dhar)	Mnawar (Dhar)	Mnawar (Dhar)	Mnawar (Dhar)
28.	Shri Utkarsh Raj Soni, III Civil Judge Junior Division, Dindori	Dindori	Dindori	Dindori	Dindori
33.	Shri Ashish Kumar Keshrwanji, III Civil Judge Senior Division, Dabra (Gwalior)	Dabra	Gwalior	Dabra	Dabra
42.	Shri Nadeem Javed Khan, VII Civil Judge Junior Division, Katni	Katni	Katni	Katni	Katni

(1)	(2)	(3)	(4)		
62.	Shri Bishwa Deepak Tiwari, VII Civil Judge Senior Division, Satna	Satna	Satna	Satna	Satna
69.	Smt. Pragati Mitra Sunmoriya, Civil Judge Senior Division, Jaisinghnagar Shahdol	Jaisingh nagar	Shahdol	Jaisinghnagar	Jaisinghna gar
75.	Shri Deepak Kumar Agrawal, Civil Judge Senior Division, Majholi (Sidhi)	Sidhi	Sidhi	Sidhi	Sidhi
83.	Shri Vijay Kumar Pandey (Jr.) III rd Civil Judge Senior Division, Vidisha	Vidisha	Vidisha	Vidisha	Vidisha
86.	Shri Rakesh Bhide, Civil Judge Junior Division, Bhikangaon (Mandleshwar)	Bhikang aon	Mandlesh war	Bhikangaon	Bhikangao n

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

प. क्र. 2978—भू—अर्जन—2023

राजगढ़, दिनांक 31 मार्च 2023

—: अनुसूची — 1 :-

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक १००१/अ-८२/२०२३-२४ चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची में भूमि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक १००१/अ-८२/२०२३-२४ चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक २ में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम प्रतापपुरा के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित छूटी हुई शेष भूमि जिसका नामवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची २ में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची २ की भूमि की अनुसूची १ में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थी आवश्यकता है। चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

—: अनुसूची — 2 :-

पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम प्रतापपुरा की छूटी हुई शेष भूमि के अर्जन का विवरण

तहसील—नरसिंहगढ़

जिला—राजगढ़

(1) भूमि :-				
स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रक्कवा (हे. में)	अर्जित भूमि (हे.में)
1	2	3	4	5
1	चेनसिंह पिता माधोसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भू—स्वामी	13/1	0.732	0.732
	योग —	1	0.732	0.732
2	लाखनसिंह पिता माधोसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भू—स्वामी	13/2	0.355	0.355
	योग —	1	0.355	0.355
	महायोग —		1.087	1.087

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू—अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प. क्र. 2980—भू—अर्जन—2023

—: अनुसूची — 1 :-

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक १००५/अ-८२/२०२३-२४ चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची में भूमि/मकान/शोचालय आदि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक १००५/अ-८२/२०२३-२४ चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक २ में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम गेंहूखेड़ी कलां के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित छूटी हुई शेष भूमि/मकान/शोचालय आदि जिसका नामवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची २ में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची २ की भूमि, मकानों, शोचालय आदि की अनुसूची १ में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थी आवश्यकता है। चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

—: अनुसूची — 2 :-

पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम गेहूखेड़ी कलां की छूटी हुई शेष भूमि, मकानों एवं शोचालय आदि के अर्जन का विवरण

तहसील—नरसिंहगढ़

जिला—राजगढ़

(1) भूमि :-				
स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रक्खा (हे.मे.)	अर्जित भूमि (हे.मे.)
1	2	3	4	5
1	कालूराम पिता बकसू जाति चमार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	176/1/6	0.400	0.400
	योग —	1	0.400	0.400
2	इस्मालखों पिता कालूखों जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	176/3	1.265	0.232
	योग —	1	1.265	0.232
3	इब्राहिमखा पिता इस्माइलखों जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	201/176/1	0.569	0.569
	योग —	1	0.569	0.569
4	हबीबखों पिता ईसब खों जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	201/176/2 203/176/2	0.420 0.101	0.420 0.101
	योग —	2	0.521	0.521
5	दलशेरखों पिता इसवखों जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	201/176/3 203/176/1 204/176/2	0.402 0.101 0.093	0.402 0.101 0.093
	योग —	3	0.596	0.596
6	साबूदीन खों पिता इस्माइलखों हि. 1/5, इब्राहिम खों पिता इस्माइलखों हि. 1/5, अमीनाबी पुत्री इस्माइलखों हि. 1/5, जरीनाबी पुत्री इस्माइलखों हि. 1/5, हलीमनबी बेवा इस्माइलखों हि. 1/5 जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	204/176/1	1.109	1.109
	योग —	1	1.109	1.109
	महायोग :-	9	4.460	3.427

भूमि, मकान एवं शोचालय आदि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू—अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प. क्र. 2981—भू—अर्जन—2023

—: अनुसूची — 1 :-

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक ००६/अ-८२/२०२३-२४ चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची में भूमि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक ००६/अ-८२/२०२३-२४ चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक २ में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम शिवपुरा जागीर के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित छूटी हुई शेष भूमि जिसका नामवार सर्व क्रमवार विवरण अनुसूची २ में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची २ की भूमि की अनुसूची १ में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

—: अनुसूची — 2 :-

पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम शिवपुरा जागीर की छूटी हुई शेष भूमि के अर्जन का विवरण

तहसील—नरसिंहगढ़

जिला—राजगढ़

(1) भूमि :-				
स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्व नंबर	कुल रकम (हे. में)	अर्जित भूमि (हे.में)
1	2	3	4	5
1	अनीसखां पिता उमरखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	89/2	0.063	0.013
	योग -	1	0.063	0.013
2	शहीदखां पिता नसीरखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	105/1	0.057	0.057
	योग -	1	0.057	0.057
3	इस्लाम पिता अजीजखां हि. 1/4, सलाउदवीन पिता अजीजखां हि. 1/4, सलमा पिता अजीजखां हि. 1/4, मल्लीबी बेवा अजीजखां हि. 1/4 जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	105/2	0.057	0.057
	योग -	1	0.057	0.057
4	बहीदखां पिता धीसेखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	106	0.025	0.025
	योग -	1	0.025	0.025
5	हबीब पिता नसीर जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	109/1	0.212	0.212
	योग -	1	0.212	0.212
6	रहीमखां पिता भोलेखां हि. 1/4, हबीबखां पिता भोलेखां हि. 1/4, जेतुनबी पिता भोलेखां हि. 1/4, शेतानबी पिता भोलेखां हि. 1/4 जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	110/1	0.028	0.028
	योग -	1	0.028	0.028

7	नफीसनबी शरीफखां हि. 1/5, फरीदखां शरीफखां हि. 1/5, मुबीनखान शरीफखां हि. 1/5, खुर्शीदखान शरीफखां हि. 1/5, फरीबादी शरीफखां हि. 1/5 जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	111/2	0.114	0.114
	योग –	1	0.114	0.114
8	दौलतखां कल्लूखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	112/1	0.044	0.044
	योग –	1	0.044	0.044
9	सेफुउददिन पिता इज्जतखां हि. 1/5, ताजउददीन पिता इज्जतखां हि. 1/5, आजादउददीन पिता इज्जतखां हि. 1/5, सफरुउददीन पिता इज्जतखां हि. 1/5, मजरुनबी बेवा इज्जतखां हि. 1/5 जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	112/2	0.045	0.045
	योग –	1	0.045	0.045
10	जलील खां पिता मोतीखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	113/1	0.017	0.017
		114/1	0.033	0.033
	योग –	2	0.050	0.050
11	दाउदखां पिता अब्दुल हमीदखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	113/2	0.017	0.017
		114/2	0.034	0.034
		115	0.013	0.013
		116	0.013	0.013
	योग –	4	0.077	0.077
12	रहीमखां, अयूबखां, शाकिरखां, आकिलखां, जामीलखां, जेतूनबी, जरीनबी, सन्नोबी, भूरीबी पिता वाहिदखां, खातूनबी बेवा वाहिदखां, आमिनखां, हासिमखां, सलमानखां, नसीमबी पिता अब्दुल्लाखां, नन्नीबी बेवा अब्दुल्लाखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	113/3	0.017	0.017
		114/3	0.034	0.034
	योग –	2	0.051	0.051
13	आनीसखां पिता आमानतखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	212	0.063	0.063
	योग –	1	0.063	0.063
14	मुन्नाखां पिता कालेखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	215/3/1	0.699	0.446
	योग –	1	0.699	0.446
	महायोग –	19	1.585	1.282

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प. क्र. 2982—भू—अर्जन—2023

—: अनुसूची - 1 :-

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक १००३/अ-८२/२०२३-२५ चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची में भूमि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक १००३/अ-८२/२०२३-२५ चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 2 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम बरोड़ी के ढूब क्षेत्र के लिए वर्णित छूटी हुई शेष भूमि जिसका नामवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

—: अनुसूची - 2 :-

पार्वती परियोजना के ढूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम बरोड़ी की छूटी हुई शेष भूमि के अर्जन का विवरण

तहसील—नरसिंहगढ़

जिला—राजगढ़

(1) भूमि :-				
स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रक्कम (ह.मे)	अर्जित भूमि (ह.मे)
1	2	3	4	5
1	जशोदाबाई बेवा घनश्याम, सरजनसिंह जितेन्द्र विनोद पिता घनश्याम, अरुण अवधनारायण ना बा पिता घनश्याम संरक्षक जितेन्द्र, अयोध्याबाई पपीताबाई राधाबाई पिता घनश्याम, जशोदाबाई पति घनश्याम जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	11/1/7	0.506	0.253
	योग —	1	0.506	0.253
2	विकमसिंह पिता हजारी जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	71/1/1	1.494	1.350
	योग —	1	1.494	1.350
3	केशरसिंह पिता रामचन्द्र जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	121/2/3	0.047	0.015
	योग —	1	0.047	0.015
4	पवन पिता नवलसिंह जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	121/2/4	0.047	0.022
	योग —	1	0.047	0.022

5	सिद्धिबाई पिता हरचंद जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	123/1/1	0.379	0.100
	योग -	1	0.379	0.100
	महायोग -	5	2.473	1.740

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प. क्र. 2983—भू—अर्जन—2023

-: अनुसूची - 1 :-

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक ००४/अ-८२/२०२३-२४ चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची में भूमि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक ००४/अ-८२/२०२३-२४ चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 2 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम सेवांस जागीर के छूब क्षेत्र के लिए वर्णित छूटी हुई शेष भूमि जिसका नामवार सर्व कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्वर्तवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

-: अनुसूची - 2 :-

पार्वती परियोजना के छूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम सेवांस जागीर की छूटी हुई शेष भूमि के अर्जन का विवरण

तहसील—नरसिंहगढ़

जिला—राजगढ़

(1) भूमि :-		सर्व नंबर	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित भूमि (हे.में)
स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम			
1	2	3	4	5
1	मोजीलाल पिता जुगलकिशोर जाति बृजा हि. 1/2, राजलबाई पत्नि मोजीलाल जाति बृजा हि. 1/2 पता नि. ग्राम भूस्वामी	25/1/1	0.417	0.417
	योग -	1	0.417	0.417
2	यासीनखां पिता गफुरखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	25/2/2	0.751	0.751
	योग -	1	0.751	0.751
3	नबीबाई पुत्री कास्या पति जयराम जाति बृजा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	25/7/2	0.632	0.120
	योग -	1	0.632	0.120
4	भेरुसिंह पिता नन्नलाल जाति घोसी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	53/1/2/3	0.222	0.100
	योग -	1	0.222	0.100
	महायोग -	4	2.022	1.388

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प. क्र. 2984-भू-अर्जन-2023

—: अनुसूची - 1 :—

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक ०००२/अ-८२/२०२३-२१ चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची में भूमि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक ०००२/अ-८२/२०२३-२१ चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 2 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम भेरुपुरा के ढूब क्षेत्र के लिए वर्णित छूटी हुई शेष भूमि जिसका नामवार सर्वे क्रमावार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

—: अनुसूची - 2 :—

पार्वती परियोजना के ढूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम भेरुपुरा की छूटी हुई शेष भूमि के अर्जन का विवरण

तहसील-नरसिंहगढ़

जिला-राजगढ़

(1) भूमि :-					
स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित भूमि (हे.में)	
1	2	3	4	5	
1	गेन्दकुंवरबाई रामकुंवर बाई शांताकुंवरबाई पुत्री तेजसिंह, लखतसिंह भंवरलाल रघुवीरसिंह सुमेरसिंह हेमसिंह पिता तेजसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	25/1	0.189	0.189	
योग -		1	0.189	0.189	
2	बनेसिंह पिता बल्देवसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	25/2	0.190	0.190	
योग -		1	0.190	0.190	
महायोग -			0.379	0.379	

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्र. 243—भू—अर्जन—2023

पन्ना, दिनांक 24 अप्रैल 2023

प्रकरण क्रमांक 10/अ-82 वर्ष 2022-23 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:-

(क) जिला	—	पन्ना
(ख) तहसील—		पन्ना
(ग) ग्राम	—	डोंडी
(घ) क्षेत्रफल—		44.560 हेक्टेयर,

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि का प्रकार
1	2	3	4
1	3	0.520	निजी भूमि
2	5	0.110	निजी भूमि
3	17	0.060	निजी भूमि
4	19	0.330	निजी भूमि
5	6	0.480	निजी भूमि
6	7/1	0.540	निजी भूमि
7	7/2	0.210	निजी भूमि
8	9	0.620	निजी भूमि
9	10	0.500	निजी भूमि
10	11	1.500	निजी भूमि
11	12	0.070	निजी भूमि
12	41	0.100	निजी भूमि
13	13	0.230	निजी भूमि
14	27	0.100	निजी भूमि
15	34	0.930	निजी भूमि
16	38	0.080	निजी भूमि

17	39	0.070	निजी भूमि
18	14	0.470	निजी भूमि
19	15	0.550	निजी भूमि
20	16	0.570	निजी भूमि
21	51/2	0.160	निजी भूमि
22	52	0.200	निजी भूमि
23	53	0.350	निजी भूमि
24	18	0.430	निजी भूमि
25	26	0.270	निजी भूमि
26	25	0.150	निजी भूमि
27	28	0.110	निजी भूमि
28	29	0.240	निजी भूमि
29	33	0.380	निजी भूमि
30	35	0.410	निजी भूमि
31	36	0.280	निजी भूमि
32	37	0.150	निजी भूमि
33	40	0.050	निजी भूमि
34	42	0.150	निजी भूमि
35	43/2	1.030	निजी भूमि
36	43/1	0.820	निजी भूमि
37	46/1	0.930	निजी भूमि
38	95/2	0.760	निजी भूमि
39	105	0.150	निजी भूमि
40	46/2	0.910	निजी भूमि
41	71	0.590	निजी भूमि
42	106	0.350	निजी भूमि
43	47	0.420	निजी भूमि
44	48	0.200	निजी भूमि
45	98	0.500	निजी भूमि

46	49	1.160	निजी भूमि
47	51/1	1.290	निजी भूमि
48	54	2.000	निजी भूमि
49	56	1.400	निजी भूमि
50	66/3	0.020	निजी भूमि
51	67	0.380	निजी भूमि
52	60	0.820	निजी भूमि
53	94	0.860	निजी भूमि
54	63	0.350	निजी भूमि
55	64	0.650	निजी भूमि
56	91	0.410	निजी भूमि
57	96	0.340	निजी भूमि
58	65	0.510	निजी भूमि
59	107/2	0.100	निजी भूमि
60	66/1	0.400	निजी भूमि
61	66/2	0.330	निजी भूमि
62	72	0.070	निजी भूमि
63	69	0.180	निजी भूमि
64	83	0.610	निजी भूमि
65	99	0.040	निजी भूमि
66	103	0.830	निजी भूमि
67	70	0.050	निजी भूमि
68	74	0.260	निजी भूमि
69	87	0.710	निजी भूमि
70	75	1.630	निजी भूमि
71	79	0.230	निजी भूमि
72	90	0.940	निजी भूमि
73	76	0.890	निजी भूमि
74	77	0.790	निजी भूमि

75	80	0.550	निजी भूमि
76	81	0.660	निजी भूमि
77	82/1	0.460	निजी भूमि
78	93	0.350	निजी भूमि
79	82/2	0.480	निजी भूमि
80	84	1.40	निजी भूमि
81	85	0.580	निजी भूमि
82	95/1	0.180	निजी भूमि
83	108	0.450	निजी भूमि
84	100	0.160	निजी भूमि
85	101	0.360	निजी भूमि
86	102	0.040	निजी भूमि
87	104	0.340	निजी भूमि
88	107/1	0.270	निजी भूमि
89	109	0.700	निजी भूमि
90	110	0.170	निजी भूमि
91	111	1.130	निजी भूमि
योग	91	44.560	

- {2} सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :— छत्तरपुर/पन्ना जिले के अन्तर्गत केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना के (दौधन बांध) निर्माण कार्य हेतु ढूब क्षेत्र में प्रभावित फी0टी0आर0 कोर क्षेत्र से लगे हुये ग्राम डोंडी तहसील एवं अनुभाग पन्ना की भूमि अर्जन हेतु धारा—19 का प्रकाशन, ग्राम डोंडी तहसील एवं अनुभाग पन्ना।
- {3} भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय कुमार मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

प्र.क्र. 57-अ-82-2020-21-केदारखेड़ा-4158

बैतूल, दिनांक 26 मार्च, 2023

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची - 2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे.में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म.प्र.)	आमला	केदारखेड़ा	0.232	इटार्सी-नागपुर तीसरी रेल लाईन के निर्माण हेतु

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	ख.नं.	कुल रकबा हे.में	अर्जन का रकबा हे.में
1	2	3	4	5
1	नारायण पिता धर्मपाल जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	105/1	3.691	0.082
2	तुरजी पति गेन्दू जाति अ.जा. सा. देह भूमिस्वामी	104/1	0.024	0.022
3	धनराज पिता बाजी सा. देह भूमिस्वामी	97/1	0.027	0.008
4	जगदीश, सुखदीन, रामदीन पिता गेंदू अमरा पुत्री गेंदू तुरसा बेवा गेंदू अ.जा. सा. देह भूमिस्वामी	36	0.016	0.010
5	कुंवरलाल, चिन्ध्या, धनराज पिता मल्लू अ.जा. सा. देह भूमिस्वामी	37	0.032	0.016
6	दुर्गाप्रसाद, शिवप्रसाद, कृष्णा पिता कलीराम, सोमती बेवा राजेन्द्र, विक्रम, अमित पिता राजेन्द्र, कविता, दीपिका पुत्री राजेन्द्र अ.जा. सा.देह भूमिस्वामी	38	0.032	0.004
7	राजू पिता नंदलाल जाति नाई सा. देह भूमिस्वामी	97/5	0.022	0.002

8	ख्यालीराम पिता नान्हूराम कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	34	0.640	0.020
9	भीमराव, माखन, रामदयाल, राजू पिता गुदडिया अ.जा. सा. देह भूमिस्वामी	35/1	0.075	0.040
10	जैयवंती पुत्री सोनबा, कमलदास, धर्मदास पिता जागो, इन्द्रा, कमलाबाई पुत्री जागो, ओमकार, राजू मधु, उमेश पिता इन्दल, मुन्नीबाई, जयश्री, राजश्री पिता इन्दल, दुर्गाप्रसाद, शिवप्रसाद, कृष्णा पिता कलीराम, ललीता पिता कलीराम, सोमती बेवा राजेन्द्र, विक्रम, अमित पिता राजेन्द्र, कविता, दीपिका पुत्री राजेन्द्र, राजकुमार, राजेश, बसंत पिता बलीराम, रमेश, उमेश, दिनेश पिता मानिकराव, सुशीला, संद्या, रेखा पिता मानिकराव, ओमकार पिता लक्ष्मण, चैतीबाई पुत्री लक्ष्मण, रेखा बेवा दिनेश, देवेन्द्र पिता दिनेश, देविका, देवपरी पिता दिनेश जाति अ.जा. सा. देह	35/2	0.075	0.028

(2) चौंकि इटार्सी- नागपुर तीसरी रेल लाईन के निर्माण हेतु उपरोक्तानुसार प्रभावित भूमि के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

(3) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 4-अ-82-2021-22-मंडईबुजर्ग-4159

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकमा हे0 में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म0प्र0)	बैतूल	मंडईबुजर्ग	0.127	सोनाघाटी से जोगली मार्ग के लिए पुल निर्माण हेतु ।

अनुसूची - 2
(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	ख. नं.	कुल रकमा हे0 में	अर्जन का रकमा हे0 में
1	2	3	4	5
1	दिनेश कुमार व0 प्रेगलाल कुम्हार रा0 देह	108 / 1	0.708	0.062
2	शिवलाल व0 बोन्दर, सुभद्रिया वेवा बोन्दर रा0देह	309 / 4	0.870	0.065
योग		02	1.578	0.127

(2) चूंकि सोनाघाटी से जोगली मार्ग के लिए पुल निर्माण हेतु उपरोक्तानुसार प्रभावित भूमि के अर्जन से हितवद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविमागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमनबीर सिंह बैंस, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 3133-जि.भ.अ.-2023

सिवनी, दिनांक 28 अप्रैल 2023

क्रमांक / ३/३ /जि.भू.अ./2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) 'से' (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की भीमकुण्डी जलाशय परियोजना अंतर्गत बांध एवं मुख्य नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार एतद द्वारा सभी सम्बंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन समांग क्र० 1 सिवनी जिला सिवनी से संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिंचाई परियोजना की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाधात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है इस अधिनियम के सामाजिक समाधात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होगे, उपरोक्त के संबंध में पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय भारत सरकार भोपाल द्वारा दिनांक 17/4/2015 की स्वीकृति दी गई है। अतः अधिनियम की धारा 11 (3) के अंतर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

01. ग्राम का नाम	:- सुकरी	ब.नं.:—747	प.ह.न.—2
02. रा.नि.म.	:- चमारी खुर्द	तहसील:— छपारा	जिला — सिवनी
03. अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल	:- 19.58 हेक्टेयर		

सं.	सर्वेक्षण सं०	स्थानित्य का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का दो० है० में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएँ					वृक्ष	संरचनाएँ			
						कृषि	उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	किस्म	संख्या	प्रकार	द्वितीय परिया	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	64	भूमिस्वामी	कृषि	0.65	हज्जू पुत्र धूंधा अहीर दिवरसी नकलसी पुत्र हजारी हेमोबाई बेबा रुसलाल अशोक सहेश अरुणाबाई पि० रुसलाल अहीर कुसुमबती रुसबती पुत्री बजारी पप्पू पुत्र हीरामन राकेश पि० रुसलाल जाति अहीर नि० सुकरी भूमिस्वामी	भू जल पानी के नीचे	भागलाल पिता समरलाल	भू जल पानी के नीचे	पूर्व	पश्चिम	-	-	-	-	-

49	69/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.09	किशोरी पिता नन्हेलाल जाति गोंड निं० ग्राम भूमिस्वामी	किशोरी पिता नन्हेलाल				-	-	-	-
50	69/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.11	किसनलाल पिता नन्हेलाल जाति गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी	किसनलाल पिता नन्हेलाल	किसनलाल पिता नन्हेलाल	सुकरती पति गुलाब	सुकरती पति गुलाब	-	-	-	-
51	70	भूमिस्वामी	कृषि	0.18	मु० सुकरती जौ. गुलाब जाति गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी	किसनलाल पिता नन्हेलाल	सिरजलाल पिता अमीरचंद	चतुर्भुज पिता झन्कू	चतुर्भुज पिता झन्कू	खिमिया बे० सुरुन	परम् पिता तिक	-	-
योग				19.58		-	-	-	-	60	8- हाँ 3- तार 3- मकान	164.52	वर्ग मी.

- अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुबिभागीय अधिकारी राजस्व लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन संभाग क्रं 1 सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात क्रय/ विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विललंगम सृजित नहीं करेगा।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज सिंघल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र. 753-82-21-22-भू-अर्जन-2584

सागर, दिनांक 28 मार्च 2023

(देखिये धारा 19 एवं 21)

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में धारा 15 के तहत कोई आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं।

(1) परियोजना का नाम : हनौता सिंचाई परियोजनांतर्गत छूब क्षेत्र निर्माण हेतु

(2) भूमि का विवरण

1. जिला	:	सागर
2. तहसील	:	खुरई
3. ग्राम	:	महूना जाट
4. पट.ह.नं.-	:	38
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	18.590 हे.
6. अर्जित मकान इत्यादि का क्षेत्रफल :		9500.17

:: अनुसूची ::

सं. क्र.	भू-धारक का नाम/ पिता एवं पति का नाम	खसरा नंबर	कुल रक्खा हे.में	अर्जित भूमि का विवरण हे. में			अर्जित भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्ति. वृक्षों/कुओं/ट्यूबेल /मकानों का विवरण एवं मूल्य (मकानों को छोड़कर)
				सिविंत	असिविंत	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रामरतन पिता दरयावसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	108/341	2.210	2.210	0.000	0.000	बेर-5 छेवला-6
		240	0.080	0.000	0.040	0.000	बेर-5, नीव-1 इश्तूलबबूल-3, रेंजा-1, इमली-1
2	रामप्यारी पति भरोसीलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	128	0.550	0.070	0.000	0.000	बेर-1, रसल्ला-1 गुरार-1, छेवला-1
3	धनीराम पिता इमरत पता सा.देह भूमि स्वामी	141/2	0.800	0.550	0.000	0.000	बेर-5, छेवला-1 गुरार-2
		141/2=0.60,14 1/3=0.20					

4	धर्मन्दसिंह अमितसिंह पिता रामसींग प्रहलाद सिंह निहालसिंह पिता मोहनसिंह ललिताबाई पुत्री मोहनसिंह पूनाबाई बेवा मोहनसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	161	0.110	0.000	0.110	0.000	—
		245	0.030	0.000	0.030	0.000	नीबू-3, आम-4 चीकू-1, आंवला-1 मुनगा-1, अमरुद-1 अनार-1, सीताफल-2 बासधिरा-40
		247	0.040	0.000	0.040	0.000	—
5	संतोषकुमार पिता शिखरचंद पता सा.देह भूमि स्वामी	170	0.080	0.000	0.080	0.000	खजूर-4
		172	0.150	0.000	0.040	0.000	चिरौल-1, खजूर-1
		335	9.150	9.150	0.000	0.000	बेर-36, आम-2 गुरार-2, धामन-1 सेमर-2, महानीम-2 छेवला-8, हड्डवा-1 कोहा-2, खेर-1 उमर-2, खजूर-6 बासधिरा 20 कुआं-1
6	बलबंत पिता परम पता सा.देह भूमि स्वामी	172/337	0.020	0.000	0.000	0.020	—
7	मीराबाई पति शालकराम पता सा.देह भूमि स्वामी	173	0.020	0.000	0.020	0.000	बेर-2, खजूर-2
8	महेन्द्र सिंह पिता दरयाव सिंह पता निवासी याम भूमि स्वामी	174	0.090	0.000	0.010	0.000	—
9	किशनसिंह पिता दरयाव सिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	176	0.060	0.000	0.010	0.000	—
		309	1.080	1.020	0.000	0.000	बेर-3, हड्डवा-3 सेमर-1, चिरौल-1 गुरार-7, रेंजा-1 छेवला-1, नीम-1 महुवा-1, बबूल-2 उमर-3, इमली-1
10	राधेसींग पिता दरयावसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	177	0.070	0.000	0.010	0.000	—
		305	0.240	0.240	0.000	0.000	—
11	रामबाबू सिंह किशनसिंह पिता दरयाव सिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	178	0.140	0.060	0.000	0.000	बेर-1, खजूर-2 अशोक-1
		178=0.05, 179= 0.04, 180=0.01 , 181=0.01, 18 2=0.03					
12	नबल प्रेमा पिता हल्के रामप्यारी धनिया पुत्री हल्के राधारानी बेवा हल्के पता सा.देह भूमि स्वामी	183	0.120	0.000	0.120	0.000	बेर-2 खजूर-1

13	मंदिर श्री महावीर श्री स्वामी बाके देह मुहराम गुलाम पिता विहारीलाल प्रबंधक कलेक्टर महो.सागर सा.देह भूमि स्वामी	184	0.080	0.080	0.000	0.000	शूलबबूल-1 इमली-1, खजूर-2
14	रामबाबू किशन सिंह पिता दरयाव सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	185/1	0.040	0.000	0.040	0.000	अमरुद
		186/2	0.040	0.000	0.040	0.000	शूलबबूल-12 नलकूप-1
15	प्रमेन्द्रसांग पिता राम किशन पता सा.देह भूमि स्वामी	185/2	0.010	0.000	0.010	0.000	-
16	विजेन्द्रसिंह पिता रघुराजसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	186/1	0.010	0.000	0.010	0.000	-
17	रमेशसिंह पिता सुशीलाल सा.देह भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	226/1	0.040	0.000	0.040	0.000	खजूर-1
18	सुशीलाल पिता दरयावसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	226/2	0.040	0.000	0.040	0.000	-
19	भारत पिता सुशीलाल पता सा-देह भूमि स्वामी	226/3	0.040	0.000	0.040	0.000	अमरुद-2 नीबू-4
20	राजकुमार शिवकुमार पिता बहादुरसिंह ममता मीना ऊचा पिता बहादुरसिंह दांगी पता सा.देह भूमि स्वामी	228	0.060	0.000	0.060	0.000	अमरुद-8 नीबू-6 शूलबबूल-13
21	देशराजसिंह सौभाग्यसिंह पिता घूमनसिंह भूमि स्वामी सा.देह	242	0.050	0.000	0.040	0.000	-
22	बृजरानी बेवा निहालसिंह पुष्पेन्द्र पिता निहालसिंह शकुनबाई उत्तराबाई कृष्णाबाई पिता निहालसिंह मंगलसिंह पिता योगेन्द्रसिंह कीर्तिबाई बेवा योगेन्द्रसिंह सा.देह भूमि स्वामी	243	0.030	0.000	0.030	0.000	बबूल-1 शूलबबूल-1 चिरौल-1
23	वीरेन्द्र सिंह पिता प्रहलादसिंह सा.देह भूमि स्वामी	244	0.130	0.100	0.000	0.000	बेर-1, सागोन-18 चिरौल-1, खजूर-1 अशोक-1
24	राधारानी पति प्रहलादसिंह सा.देह निवासी ग्राम भूमि स्वामी	246	0.030	0.000	0.000	0.030	-

25	हरीराम पिता हजारी पता सागर मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी परमानन्द पति मानसींग पता सागर मध्य प्रदेश 1/10 भाग भूमि स्वामी रामदास पिता मानसींग पता सागर मध्य प्रदेश 1/10 भाग भूमि स्वामी कन्हैयाललाल पिता मानसींग पता सागर मध्य प्रदेश 1/10 भाग भूमि स्वामी रामनाथ पिता मानसींग पता सागर मध्य प्रदेश 1/10 भाग भूमि स्वामी मालती पुत्री मानसींग पता सागर मध्य प्रदेश 1/10 भाग भूमि स्वामी	301	0.800	0.030	0.000	0.000	
26	पर्वत पिता पल्टुवा पता सा.देह भूमि स्वामी	302	0.580	0.050	0.000	0.000	
27	फूलसिंह पिता विन्द्रावन पता सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	303	0.920	0.920	0.000	0.000	सेमर-1 खजूर-3
28	दामोदर पिता तिज्जा पता सा.देह भूमि स्वामी	307/1	0.500	0.460	0.000	0.000	छेवला-1 हड्डुवा-2
29	बैजयंतीबाई पति लखनसिंह सा.खजराहरचंद भूमि स्वामी	307/2	0.800	0.220	0.000	0.000	बेर-2, असतो-1, रेंजा-1, हड्डुवा-3 सेमर-1, गुरार-1 खजूर-1
30	खडक सिंह पिता रामरतन सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	308	0.380	0.010	0.000	0.000	नलकूप-1
31	कमलेश पतिलि किशनसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	310/2	0.540	0.540	0.000	0.000	-
		310/3	0.140	0.140	0.000	0.000	-
		310/4	0.220	0.220	0.000	0.000	-
32	निरंजन पिता पर्वत पता सा.देह भूमि स्वामी	315	1.170	0.870	0.000	0.000	बेर-9, गुरार-4 बबूल-1, कुआं-1
33	हरीराम पिता हजारी पता सा.देह भूमि स्वामी	316	1.170	0.740	0.000	0.000	बेर-5, लसल्ला-1 गुरार-14, छेवला-3 बबूल-2
योग		44	22.860	17.680	0.860	0.050	

झब क्षेत्र में स्थित प्रभावित मकान इत्यादि का विवरण

सं. क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण	ख.नं.	रकवा	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा 11 के प्रकाशन दिनांक को धारा 32 के तहत प्रभावित परिवर्तों का विवरण	व्या धारा 11 के प्रकाशन के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से लगातार निवास है और नहीं
					झोपड़ी/कच्चा कबेलू/टिनशेड़/पक्का गाटर फर्शी/आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (व.मी.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	राजकुमार शिवकुमार पिता बहादुरसिंह ममता मीना ऊषा पिता बहादुरसिंह दांगी पता सा देह भूमि स्वामी	228	0.06	बलराम सिंह पिता गुलाबसिंह	दीवार पथर की पक्की छत गाटर फर्शी पाटे	23.52	निरंक	हाँ
					दीवार पथर की पक्की छत गाटर फर्शी पाटे	16.24		
					दीवार पथर की पक्की छत गाटर फर्शी पाटे फर्श पटिया	19.04		
					शौचालय	8.00		
					बर्मी की कम्पोज टैंक	2.40		
					निरंक	0.00		
2	राजकुमार शिवकुमार पिता बहादुरसिंह ममता मीना ऊषा पिता बहादुरसिंह दांगी पता सा देह भूमि स्वामी	228	0.06	शिवराज सिंह पिता गुलाबसिंह	कुल योग:-	69.20	निरंक	हाँ
					दीवार ईट की पक्की टीनशेड	28.50		
					फर्श पक्का डबल			
					दीवार ईट की पक्की टीनशेड फर्श पक्का डबल	11.20		
					दीवार ईट की पक्की टीनशेड फर्श पक्का	14.08		
3	राजकुमार शिवकुमार पिता बहादुरसिंह ममता मीना ऊषा पिता बहादुरसिंह दांगी पता सा देह भूमि स्वामी	228	0.06	शिवराज सिंह पिता गुलाबसिंह	निरंक	0.00	अरविन्दसिंह पिता शिवराजसिंह	हाँ
					कुल योग:-	53.78		
4	भारत पिता खुशीलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	226/3	0.04	भारतसिंह पिता खुशीलाल दांगी	दीवार पथर की, छत पाटे सी सी फर्श पक्का	12.80	निरंक	हा
					दीवार पथर की, छत पाटे सी सी फर्श पक्का	12.80		
					दीवार पथर की, छत पाटे लकड़ी फर्श कच्चा	42.12		
					नहानी पक्की	4.00		
					नहानी + शौचालय	4.99		
					कच्चा घर	6.56		
					पथर की बाउण्डी बनी	5.50		
5	भारत पिता खुशीलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	226/3	0.04	भारतसिंह पिता खुशीलाल दांगी	कुल योग:-	88.77		

6	धर्मन्दसिंह अमितसिंह पिता रामसींग प्रहलादसिंह निहालसिंह पिता मोहनसिंह ललिताबाई पुत्री मोहनसिंह पूनाबाई बेवा मोहनसिंह पता सा. देह भूमिस्वामी	247	0.040	रामसिंह पिता डेलनसिंह	दीवार पथर की, छत गाटर, फर्श पाटे फर्श पक्का दीवार पथर की, छत गाटर, फर्श पाटे फर्श पक्का बाउण्डीबाल पक्की ईट की दहलान दीवार पथर की छत गाटर फर्श, फर्श पक्का गाटर फर्शी, शौचालय बाउण्डीबाल पक्की ईट की	43.12 43.12 28.20 16.65 20.40 6.08 21.44	निरंक	हा -
7					निरंक	0.00	धर्मन्द सिंह पिता रामसिंह	हा
8					निरंक	0.00	अमित सिंह पुत्र रामसिंह	हा
					कुल योग:-	179.01		
9	रामरतन पिता दरयावसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	240	0.080	खडक सिंह पिता रामरतन सिंह	दीवार पथर मिट्टी की लकड़ी, फर्श कच्चा दीवार पथर मिट्टी की लकड़ी, खपरा, फर्श कच्चा दहलान दीवार पथर की छत आर सी सी फर्श पक्का दीवार ईट की, टीनशेड, गौशाला शौचालय पक्का दीवार ईट की छत शेष फाउण्डेशन दीवार ईट की पक्की	23.8 17.50 33.62 18.72 5.32 42.00 32.80 20.00	निरंक	हा
10					निरंक	0.00	रोमिल सिंह पुत्र खडक सिंह	हा
11					निरंक	0.00	स्वाती पुत्री खडकसींग	हा
12					निरंक	0.00	वैशाली पुत्री खडकसींग	हा
					कुल योग:-	193.76		
13	शासकीय आबादी	252	1.160	फूलसिंह पिता वृन्दावन सिंह राजपूत	दीवाल ईट की पक्की छत आर सी.सी. फर्श पक्का दीवाल ईट की पक्की बाउण्डीबाल पथर सीमेन्ट का चबूतरा	28.38 13.34 5.00	निरंक	हाँ -
	फूलसिंह पिता विन्द्रावन पता सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	303	0.920		कुल योग:-	46.72		
14	शासकीय	197/1	30.060	बल्लू पिता हरलाल धानक	दीवार पथर मिट्टी की छत लकड़ी पन्नी फर्श कच्चा	34.40	निरंक	हाँ
					कुल योग:-	34.40		

15	शासकीय	197/1	30.060	भूरेलाल पिता हरलाल धानक	दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पाटे, फर्श कच्चा	28.98	निरंक	हाँ
					दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पन्नी, फर्श कच्चा	20.01		
					शौचालय पवका	1.44		
					कुल योग:-	50.43		
16	शासकीय	197/1	30.060	घन्सू पिता घम्मू आदिवासी	दीवार पत्थर की छत कड़ी, पटिया, फर्श कच्चा	28.50	निरंक	हाँ
					दीवार पत्थर की छत कड़ी, पटिया, फर्श कच्चा	24.75		
					शौचालय पवका	1.44		
					कुल योग:-	54.69		
17	शासकीय	197/1	30.060	रन्धीर रैकवार पिता पूरन रैकवार	दीवार पत्थर की छत कड़ी, पटिया, फर्श कच्चा	20.64	निरंक	हाँ
					दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पाटे, फर्श कच्चा	21.28		
					शौचालय पवका	1.44		
					निरंक	0.00		
18					निरंक	0.00	बेनीबाई पति पूरन	हाँ
19					निरंक	0.00	अमन पिता रन्धीर रैकवार	हाँ
20	शासकीय	197/1	30.060	नरेन्द्र पिता कम्मोद अहिरवार	दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पाटे, फर्श कच्चा	23.18	निरंक	हाँ
					दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पाटे, फर्श कच्चा	9.36		
					दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पाटे, फर्श कच्चा दहलान	5.28		
					कुल योग:-	37.82		
21	शासकीय	197/1	30.060	छोटेलाल पिता हरी	दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पाटे, फर्श कच्चा	26.52	निरंक	हाँ
					दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पाटे, फर्श कच्चा दहलान	17.68		
					शौचालय	1.69		
					पानी का टैंक	3.14		
22					निरंक	0.00	दीपक अहिरवार पिता छोटेलाल अहिरवार	हाँ
					कुल योग:-	49.02		

23	शासकीय	197/1	30.060	हरदास पिता पंचम रैकवार	दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पाटे, फर्श कच्चा	42.12	निरंक	हाँ
					दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पाटे, फर्श कच्चा	46.44		
					शौचालय पक्का	1.44		
					कुल योग:-	90.00		
24	शासकीय	197/1	30.060	बल्लू पिता चेतु अहिरवार	दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पाटे, फर्श कच्चा	45.15	निरंक	हाँ
					दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पाटे, सीमेन्ट सीट फर्श कच्चा	28.35		
					दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पाटे, फर्श कच्चा	11.20		
					लकड़ी पन्नी गौशाला	8.40		
					निरंक	0.00	प्रेमनारायण पुत्र बल्लू	हाँ
25					कुल योग:-	93.10		
					दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पाटे, फर्श कच्चा	32.63		
					दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पाटे, फर्श कच्चा, दहलान	16.13		
26	शासकीय	197/1	30.060	भारत पिता बसंत अहिरवार	कुल योग:-	48.76	निरंक	हाँ
					दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पाटे, फर्श कच्चा	38.50		
					दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पाटे, फर्श कच्चा दहलान	23.40		
					शौचालय पक्का	1.44		
27	शासकीय	197/1	30.060	बसंत पिता चेतु अहिरवार	कुल योग:-	63.34		

28	शासकीय	197/1	30.060	खिलान पिता कनई अहिरवार	दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पाटे, फर्श कच्चा	24.09	निरंक	हाँ				
					दीवार पत्थर मिट्टी की छत पन्नी लकड़ी पाटे, फर्श कच्चा दहलान	18.48						
					शौचालय	1.44						
कुल योग:-						44.01						
29	शासकीय	197/1	30.060	बृजेश कुमार पिता घनश्याम अहिरवार	दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पाटे, फर्श कच्चा	21.08	निरंक	हाँ				
					दीवार पत्थर मिट्टी की छत पन्नी लकड़ी पाटे, फर्श कच्चा दहलान	16.12						
					शौचालय	1.44						
कुल योग:-						38.64						
30	शासकीय	197/1	30.060	मंजूलाल पिता धनू अहिरवार	दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पाटे, फर्श कच्चा	31.11	निरंक	हाँ				
					दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी खपरा, फर्श कच्चा	38.75						
					दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी, फर्श कच्चा	37.50						
शौचालय						7.82						
निरंक						0.00	प्रियंका पुत्री मंजूलाल	हाँ				
निरंक						0.00	छाया पुत्री मंजूलाल	हाँ				
निरंक						0.00	शिवानी पुत्री मंजूलाल	हाँ				
कुल योग:-						115.18						
34	शासकीय	197/1	30.060	सोनू पिता मंजूलाल अहिरवार	दीवार पत्थर की पाटे, फर्श भू-तल	29.10	निरंक	हाँ				
					दीवार पत्थर की पाटे, फर्श प्रथम तल	29.10						
					दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी, पाटे फर्श कच्चा	31.72						
					दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी, पाटे फर्श कच्चा दहलान	47.38						
कुल योग:-						137.30						

35	शासकीय	197/1	30.060	विश्वनाथ सिंह पिता मचलसिंह राजपूत	दीवार इंट की पक्की लकड़ी, खपरा, फर्श पक्का	19.80	निरंक	हौं -
					दीवार इंट की पक्की लकड़ी, खपरा, फर्श पक्का	19.80		
					दीवार इंट की छत, टीनशेड फर्श कच्चा।	14.76		
					दीवार इंट की पक्की लकड़ी, फर्श पक्का	37.19		
					दीवार इंट की पक्की लकड़ी, फर्श पक्का	26.88		
					दीवार इंट की छत, टीनशेड फर्श कच्चा।	46.92		
					गोशाला	13.90		
					शौचालय	11.10		
					नहानी पक्की	3.75		
					दीवाल इंट की	3.41		
36					निरंक	0.00	राजेश पिता विश्वनाथ	हौं
37					निरंक	0.00	ब्रजेश पिता विश्वनाथ	हौं
					कुल योग:-	197.51		
38	शासकीय	197/1	30.060	चंदन पिता लटोरी	दीवार लकड़ी पन्नी की फर्श कच्चा भूसाधर	15.20	निरंक	हौं -
					दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पन्नी फर्श कच्चा	19.20		
					दीवार लकड़ी पन्नी की फर्श कच्चा गोशाला	16.40		
					शौचालय	1.44		
					पानी की टंकी	1.90		
					कुल योग:-	54.14		
39	शासकीय	197/1	30.060	दामोदर पिता तिज्जे अहिरवार	दीवार लकड़ी पत्थर की पाटे	11.52	निरंक	हौं -
					दीवार मिट्टी की लकड़ी फर्श कच्चा	28.08		
					दीवार पत्थर मिट्टी छत लकड़ी पन्नी फर्श कच्चा	24.48		
					शौचालय	1.44		
					कुल योग:-	65.52		
40	शासकीय	197/1	30.060	नबो पति नारायण अहिरवार	दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पटमा गाटर फर्श कच्चा	19.20	निरंक	हौं -
					दीवाल लकड़ी पत्थर की पाटे	23.40		
					गोशाला	4.62		
					कुल योग:-	47.22		

41	शासकीय	197/1	30.060	रामचरन पिता बुद्दे अहिरवार	दीवार पथर की छत पाटे फर्श कच्चा दीवाल पथर की छत कड़ी पटिया फर्श कच्चा दहलान दीवाल लकड़ी पन्नी छत लकड़ी फर्श कच्चा शौचालय	23.40 15.60 9.60 14.40 3.50	निरंक	हाँ
					कुल योग:-	66.50		
42	भारत पिता खुशीलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	226/3	0.040	कल्यानसिंह पिता भारतसिंह दांगी	दीवार पथर की पाटे फर्श पक्का दीवार पथर की पक्की छत फर्श पक्का शौचालय	13.20 32.70 5.01	निरंक	हा
					कुल योग:-	50.91		
43	शासकीय वन	199	2.770	बबलू पिता गणेश अहिरवार	दीवार पथर मिट्टी की छत लकड़ी पाटे फर्श कच्चा दीवार पथर मिट्टी की छत लकड़ी पाटे फर्श कच्चा शौचालय	45.65 43.86 46.54 1.44	निरंक	हाँ
44					निरंक	0.00	पूजा पुत्री बबलू अहिरवार	हाँ
45					निरंक	0.00	विजय पुत्र बबलू अहिरवार	हाँ
					कुल योग:-	137.48		
46	शासकीय वन	199	2.770	खुमान पिता हरलाल धानक	दीवार पथर मिट्टी की छत लकड़ी पाटे फर्श कच्चा दीवार पथर मिट्टी की छत लकड़ी पन्नी की फर्श कच्चा शौचालय	43.29 31.04 1.44	निरंक	हाँ
47					निरंक	0.00	अरन पिता खुमान	हाँ
48					निरंक	0.00	करन पिता खुमान	हाँ
49					निरंक	0.00	बाबूलाल पिता खुमान	हाँ
					कुल योग:-	75.77		

50	शासकीय वन	199	2.770	राजाराम पिता हरलाल आदिवासी	दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पाटे फर्श कच्चा	17.48	निरंक	हाँ
					दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पन्नी की फर्श कच्चा	11.50		
					शौचालय	1.44		
					कुल योग:-	30.42		
51	शासकीय वन	199	2.770	रामलाल पिता राजाराम आदिवासी	दीवार पत्थर मिट्टी गाटर फर्शी फर्श कच्चा	29.48	निरंक	हाँ
					दीवार पत्थर मिट्टी छत लकड़ी पाटे फर्श कच्चा दहलान	14.96		
					लकड़ी पन्नी गौशाला	18.90		
					दीवार पटिया छत लकड़ी पन्नी की फर्श कच्चा बकरी घर	13.86		
					कुल योग:-	77.20		
52	शासकीय वन	199	2.770	मोहन पिता भुजबल प्रजापति	दीवाल पत्थर लकड़ी पाटे फर्श कच्चा	44.80	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर लकड़ी पाटे फर्श कच्चा, टीनशेड दहलान	31.36		
					दीवार लकड़ी पन्नी, छत लकड़ी फर्श कच्चा गौशाला	23.04		
					शौचालय पक्का	1.44		
					नहानी ओपन कच्ची	3.00		
					निरंक	0.00		
53					कुल योग:-	103.64	संस्कार पुत्र मोहन	हाँ
54	शासकीय वन	199	2.770	उमाबाई पति पंचमसिंह	दीवाल इट की छत लकड़ी पाटे खपरा फर्श कच्चा	44.28	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर छत सीमेंट सीट फर्श कच्चा	28.08		
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत टीनशेड	30.24		
					नहानी पक्की	2.85		
					शौचालय	2.38		
					कुल योग:-	107.83		
55	शासकीय वन	199	2.770	राजकुमारी पति सोवरनसिंह राजपूत	दीवाल इट की पक्की छत जिंक सीट फर्श पक्का किराना	17.50	निरंक	हाँ
					नहानी-शौचालय	4.94		
					दीवाल पत्थर इट की छत शेष	39.60		
					लूज पत्थर की बाऊण्ड्रीवाल	14.48		
					कुल योग:-	76.52		

56	शासकीय वन	232/1	2.040	ब्रजमोहन पिता मिहीलाल	दीवाल ईट की छत टीनशेड फर्श कच्चा	30.40	निरंक	हाँ
					दीवाल ईट की छत टीनशेड फर्श कच्चा गौशाला	8.96		
					कुल योग:-	39.36		
57	शासकीय वन	232/1	2.040	देवीसिंह पिता पूरन अहिरवार	दीवाल पत्थर मिट्टी, छत नाठे पाटे फर्श कच्चा	20.40	निरंक	हाँ
					कुल योग:-	20.40		
58	शासकीय वन	232/1	2.040	बबतू पिता पूरनसिंह	दीवाल ईट की छत खपरैल फर्श कच्चा	51.12	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी पाटे खपरा फर्श कच्चा	20.40		
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी पाटे खपरा फर्श कच्चा	16.43		
					निरंक	0.00	पूरन पिता बारेलाल	हाँ
					कुल योग:-	87.95		
60	शासकीय वन	232/1	2.040	विश्वनाथ पिता सुखलाल अहिरवार	दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी खपरा फर्श कच्चा, दहलान	21.58	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी खपरा फर्श कच्चा।	32.37		
					दीवार लकड़ी पनी की फर्श कच्चा गौशाला	15.77		
					निरंक	0.00	रामविशाल पिता सुखलाल अहिरवार	हाँ
					कुल योग:-	69.72		
62	शासकीय वन	232/1	2.040	रामवती पति शेरसिंह कुर्मी	दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी खपरा फर्श कच्चा।	20.40	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी खपरा फर्श कच्चा।	13.77		
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी खपरा फर्श कच्चा गौशाला।	19.00		
					कुल योग:-	53.17		
63	शासकीय चारागाह	233	7.530	अमरसिंह पिता जालम सिंह सौर	दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी खपरा फर्श कच्चा।	32.68	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा दहलान।	23.22		
					शौचालय	1.44		
					कुल योग:-	57.34		

64	शासकीय चारगाह	233	7.530	महेश पिता गनेश धानक	दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी खपरा फर्श कच्चा।	19.50	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा दहलान।	11.28		
					शौचालय	1.44		
					कुल योग:-	32.22		
65	शासकीय चारगाह	233	7.530	गनेश पिता कमोद धानक	दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी खपरा फर्श कच्चा।	30.80	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा दहलान।	18.48		
					दीवाल पत्थर की लकड़ी पाटे से बना बकरी घर	14.82		
					शौचालय	5.06		
					कुल योग:-	69.16		
66	शासकीय चारगाह	233	7.530	प्रकाश पिता हल्केराम अहिरवार	दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी खपरा फर्श कच्चा क्षतिग्रस्त।	22.40	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी खपरा फर्श कच्चा।	30.75		
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी खपरा फर्श कच्चा।	30.75		
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी खपरा फर्श कच्चा।	13.20		
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी खपरा फर्श कच्चा।	13.20		
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी पन्नी फर्श कच्चा।	14.35		
					लकड़ी पन्नी की झोपड़ी	8.84		
					शौचालय	5.78		
					कुल योग:-	139.27		
					सी.एम आवास योजना आर सी सी पक्का	34.86	निरंक	हाँ
67	शासकीय चारगाह	233	7.530	गयाप्रसाद पिता बुद्दे अहिरवार	दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी पाटे फर्श कच्चा, गौशाला।	14.04		
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत टीनशेड फर्श कच्चा।	18.24		
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत टीनशेड फर्श कच्चा दुकान।	5.00		
					मुरी पालन घर	4.35		
					शौचालय	1.44		
					कुल योग:-	77.93		

68	शासकीय चारागाह	233	7.530	भगवानदास पिता बुद्दे अहिरवार	डबल दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा	40.74	निरंक	हाँ
					डबल दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा	40.74		
					डबल दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा	26.19		
					डबल दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा	26.19		
					दीवार पत्थर मिट्टी की छत टीनशेड फर्श कच्चा गौशाला	13.52		
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी पाटे फर्श कच्चा।	33.60		
					नहानी छत सीमेंट सोट	4.35		
					शौचालय	2.88		
कुल योग:-						188.21		
69	शासकीय चारागाह	233	7.530	ब्रांडावन पिता धोकल अहिरवार	दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी पाटे फर्श कच्चा।	19.20	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी पाटे फर्श कच्चा दहलान।	12.00		
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी पाटे फर्श कच्चा।	18.24		
					शौचालय पवका	1.44		
					कुल योग:-	50.88		
70	शासकीय चारागाह	233	7.530	देविन्द्र पिता धोकल अहिरवार	दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी पाटे फर्श कच्चा।	22.40	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी पाटे फर्श कच्चा दहलान।	16.64		
					शौचालय पवका	1.44		
					कुल योग:-	40.48		
71	शासकीय चारागाह	233	7.530	मनबाई वेवा धोकल अहिरवार	दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी, पाटे फर्श कच्चा।	26.52	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी, पाटे फर्श कच्चा।	20.40		
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी, पन्नी फर्श कच्चा, गौशाला।	12.40		
					गौशाला	1.44		
					कुल योग:-	60.76		
72	शासकीय चारागाह	233	7.530	शिवकुमार पिता रम्मू अहिरवार	दीवाल ईट की छत टिनशेड फर्श कच्चा	20.13	निरंक	हाँ
					कुल योग:-	20.13		

73	शासकीय चारागाह	233	7.530	रम्मू पिता धोकल अहिरवार	दीवाल पथर मिट्टी की, छत लकड़ी पाटे की फर्श कच्चा।	21.70	निरंक	हाँ
					दीवाल पथर मिट्टी की, छत लकड़ी पाटे की फर्श कच्चा।	12.40		
					सीमेण्ट शीट	5.52		
					शौचालय पक्का	1.44		
						कुल योग:-	41.06	
74	शासकीय चारागाह	233	7.530	वीरवल पिता धम्मू आदिवासी	दीवाल पथर मिट्टी की, छत लकड़ी पाटे की फर्श कच्चा।	23.80	निरंक	हाँ
					कुल योग:-	23.80		
75	शासकीय चारागाह	233	7.530	दम्मू पिता मन्नू आदिवासी	दीवाल पथर मिट्टी की, छत लकड़ी पाटे की फर्श कच्चा।	28.00	निरंक	हाँ
					दीवाल पथर मिट्टी की, छत लकड़ी पाटे की फर्श कच्चा।	20.00		
					शौचालय पक्का	1.44		
					कच्चा कमरा	22.01		
					निरंक	0.00		
						प्रीतम पिता दम्मू आदिवासी		
76	शासकीय चारागाह	233	7.530	बालकिशन पिता दम्मू आदिवासी	कुल योग:-	71.45	निरंक	हाँ
					दीवाल ईट की पक्की छत गाटर फर्शी फर्श पक्का।	27.00		
						कुल योग:-	27.00	
78	शासकीय चारागाह	234	1.200	छोटेलाल पिता गुबरे अहिरवार	दीवाल पथर मिट्टी की, छत लकड़ी खपरा फर्श कच्चा।	13.86	निरंक	हाँ
					दीवाल पथर मिट्टी की, छत लकड़ी पाटे की फर्श कच्चा।	13.44		
					पन्नी की झोपड़ी	8.25		
					शौचालय पक्का	1.44		
					कुल योग:-	36.99		
79	शासकीय चारागाह	233	7.530	मोनसिंह पिता शेरसिंह	टीनशेड फर्श पटिया गौशाला	18.48	निरंक	हाँ
					दीवाल ईट पथर की छत आर सी.सी. फर्श पक्का	54.67		
					शौचालय	4.96		
						कुल योग:-	78.11	

80	शासकीय चारागाह	233	7.530	राजाराम पिता बलीराम प्रजापति	दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत लकड़ी पाटे की फर्श कच्चा। दीवाल ईट की छत सीमेन्ट शीट, फर्श कच्चा। कुल योग:-	31.36 12.32 43.68	निरंक	हाँ
81	शासकीय चारागाह	233	7.530	अमानोबाई पति बलिराम प्रजापति	दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत लकड़ी पाटे की फर्श कच्चा। दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत लकड़ी पाटे की फर्श कच्चा। दीवाल ईट की	14.40 9.60 2.40 0.00	निरंक	हाँ
82					कुल योग:-	26.40	मैरोलाल पिता बलीराम	हाँ
83	शासकीय चारागाह	233	7.530	किशन पिता बलिराम प्रजापति	दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत लकड़ी खपरा फर्श कच्चा। दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत लकड़ी पाटे की फर्श कच्चा। टीनशेड शौचालय	15.91 11.18 8.12 2.99 38.20	निरंक	हाँ
84	शासकीय चारागाह	233	7.530	रामकुमार पिता रामसेवक चढार	लकड़ी पनी की गौशाला दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत लकड़ी पाटे की फर्श कच्चा। छत पनी लकड़ी की दहलान शौचालय	8.99 8.70 6.38 1.44 25.51	निरंक	हाँ
85	शासकीय चारागाह	233	7.530	राधारानी पति रामसेवक चढार	दीवाल ईट छत लकड़ी पाटे/नाटै फर्श कच्चा नहानी ओपन कच्ची	27.20 4.00 31.20	निरंक	हाँ
86	शासकीय चारागाह	233	7.530	रामस्वरूप पिता मुलू रैकवार	दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत लकड़ी पाटे खपरा, फर्श कच्चा। दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत टीनशेड फर्श कच्चा। दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत लकड़ी पाटे फर्श कच्चा गौशाला। कुल योग:-	16.00 11.00 17.05 44.05	निरंक	हाँ

87	शासकीय चारागाह	233	7.530	प्रेमबाई बेवा मुलू ऐकवार	दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत लकड़ी पाटे खपरा, फर्श कच्चा। कुल योग:-	21.06	निरंक	हाँ
88	शासकीय चारागाह	233	7.530	नन्दू पिता अजुन चौधरी	दीवाल इट की छत आर सी सी दीवाल इट की छत सीमेन्ट शीट, फर्श कच्चा दीवाल मिट्टी की छत कबैलू शौचालय	85.14 28.00 16.50 2.84	निरंक	हाँ
89					निरंक	0.00	रामकृष्ण पिता नन्दराम	हाँ
90					निरंक	0.00	सरिता पुत्री नन्दराम	हाँ
91	शासकीय चारागाह	233	7.530	रामराज पिता नन्दू अहिरवार	दीवाल इट छत सीमेन्ट फर्श कच्चा दीवाल इट छत सीमेन्ट दहलान दीवाल इट छत सीमेन्ट गौशाला शौचालय	22.00 12.10 9.60 2.84	निरंक	हाँ
92	शासकीय चारागाह	233	7.530	छोटेलाल पिता जवार अहिरवार	दीवाल पत्थर, छत टीनशेड फर्श कच्चा गौशाला। दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी पाटे खपरा फर्श कच्चा दीवाल इट छत सीमेन्ट फर्श कैच्चा किशना की दुकान नहानी ओपन कच्ची	19.25 28.49 20.02 4.56 3.00	निरंक	हाँ
93	शासकीय आबादी	234/2	1.200	जसवंत पिता पूरन सौर	दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत खपरा फर्श कच्चा दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी पाटे खपरा फर्श कच्चा दहलान शौचालय	29.60 18.50 1.44	निरंक	हाँ
94	शासकीय आबादी	234/2	1.200	संतोष पिता खिलान सौर	दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत खपरा फर्श कच्चा दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी पाटे खपरा फर्श कच्चा दहलान शौचालय	26.00 16.25 1.44	निरंक	हाँ
					कुल योग:-	49.54 43.69		

95	शासकीय आबादी	234/2	1.200	खिलान पिता सिम्मे सौर	दीवाल पत्थर, मिट्टी की छत, टीनशेड फर्श कच्चा गौशाला।	17.76	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पाटे खपरा फर्श कच्चा दहलान	16.20		
					दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत खपरा फर्श कच्चा	12.00		
					दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत खपरा फर्श कच्चा गौशाला	29.10		
					कुल योग:-	75.06		
96	शासकीय आबादी	234/2	1.200	प्रमोद पिता पूरन सौर	दीवाल पत्थर, मिट्टी की छत, टीनशेड फर्श कच्चा	29.40	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी की छत पन्नी फर्श कच्चा	15.40		
					कुल योग:-	44.80		
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत- खपरा फर्श कच्चा	17.49		
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत खपरा फर्श कच्चा	39.06		
97	शासकीय आबादी	234/2	1.200	चंदा वेवा परमानन्द अहिरवार	शौचालय	1.44	निरंक	हाँ
					नहानी ओपन कच्ची	3.45		
					निरंक	0.00		
					हीराबाई पति अर्जन अहिरवार	0.00		
					विकास पिता परमानन्द अहिरवार	0.00		
98	शासकीय आबादी	234/2	1.200		कुल योग:-	61.44		
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत- खपरा फर्श कच्चा	23.80		
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी फर्श कच्चा	17.50		
					शौचालय	1.44		
					कुल योग:-	42.74		
100	शासकीय आबादी	234/2	1.200	1 मनोज पिता हरलाल 2 नेतराम पिता हरलाल धानक	दीवाल पत्थर मिट्टी छत खपरा फर्श कच्चा	28.80	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी पाटे फर्श कच्चा	17.50		
					शौचालय	1.44		
					कुल योग:-	28.80		
					दीवाल पत्थर छत टीनशेड फर्श कच्चा	36.30		
102	शासकीय आबादी	238	1.110	माखनसिंह पिता राजेन्द्र सिंह ठाकुर	शौचालय	3.36	निरंक	हाँ
					नहानी ओपन कच्ची	4.40		
					बाउडीबाल पक्की इट की	12.60		
					निरंक	0.00		
					दीप्ती पुत्री माखन सिंह	0.00		
103	शासकीय आबादी				मानवेन्द्र सिंह	0.00	निरंक	हाँ
					पिता माखन सिंह	0.00		
104					कुल योग:-	56.66		

105	शासकीय आबादी	238	1.110	राजेन्द्र पिता हमीर सिंह दांगी	दीवाल पत्थर मिट्टी छत खपरा फर्श कच्चा	27.60	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत खपरा फर्श कच्चा दहलान	18.00		
					शौचालय	1.44		
					दीवाल इंट की पवकी	36.40		
					कुल योग:-	83.44		
106	शासकीय आबादी	234/2	1.200	तुलसीराम पिता मोहन	दीवाल पत्थर मिट्टी छत खपरा फर्श कच्चा	35.00	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी की छत पाटे फर्श कच्चा	21.00		
					कुल योग:-	56.00		
107	शासकीय आबादी	234/2	1.200	मोहन पिता भवूती	दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा	21.83	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा दहलान।	14.16		
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा गौशाला।	12.90		
					दीवाल इंट की छत शेष	15.60		
					शौचालय	1.44		
					कुल योग:-	65.93		
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी पन्नी फर्श कच्चा	22.32	निरंक	हाँ
108	शासकीय आबादी	234/2	1.200	मल्थू पिता राजराम आदिवासी	दीवाल पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा	4.18		
					पत्थर की बाउन्डी बनी	7.42		
109					निरंक	0.00	ब्रिन्दावन सौर पिता मल्थू सौर	हाँ
110	शासकीय आबादी	234/2	1.200	परमलाल पिता राजराम	दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा	14.80	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा	28.12		
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा	20.64		
					दीवाल पत्थर मिट्टी की छत शेष।	19.38		
					पत्थर की बाउन्डी बनी	7.00		
					शौचालय पवका	1.44		
					कुल योग:-	91.38		

111	शासकीय आबादी	234/2	1.200	नारायण पिता परमानंद सौर	दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा	14.88	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा दहलान।	12.00		
					पन्नी की झोपड़ी	6.44		
					शौचालय पक्का	1.44		
112	शासकीय आबादी	234/2	1.200	परमानंद पिता घसीटे सौर	कुल योग:-	34.76	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा	14.88		
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा दहलान।	12.96		
					कुल योग:-	27.84		
113	शासकीय आबादी	234/2	1.200	सुमेर पिता परमानंद सौर	दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा	21.46	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा	17.40		
					लकड़ी पन्नी की झोपड़ी	7.59		
					कुल योग:-	46.45		
114	शासकीय आबादी	234/2	1.200	जालम पिता सिम्मे सौर	दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा	46.74	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा	33.99		
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा	15.95		
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा दहलान	12.10		
115	शासकीय आबादी	234/2	1.200	आशाराम पिता अर्जुन	लकड़ी पन्नी की झोपड़ी	10.25	निरंक	हाँ
					शौचालय	1.44		
					कुल योग:-	120.47		
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा	48.96		
116					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा	27.28	सुमन पुत्री आशाराम	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा	36.08		
					सी.एम.आवास योजना आर.सी.सी. पक्का	14.50		
					पानी की टेंक	7.00		
					निरंक	0.00		
					कुल योग:-	133.82		

117	शासकीय आबादी	238	1.110	बलराम पिता स्विलान सींग	दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा	18.24	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर की छत शेष	19.20		
					दीवाल पत्थर मिट्टी की	14.80		
					शौचालय	1.44		
					चबूतरा कच्चा	7.00		
					कुल योग:-	60.68		
118	शासकीय आबादी	238	1.110	गुबंदी पिता पंचे सौर	दीवाल पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी खपरा फर्श कच्चा	15.84	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी खपरा फर्श कच्चा	36.40		
					दीवाल पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी खपरा फर्श कच्चा गोशाला	18.25		
					शौचालय	1.44		
					कुल योग:-	71.93		
					दीवाल पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी खपरा फर्श कच्चा दहलान	13.92		
119	शासकीय आबादी	238	1.110	रनधीर पिता धरमू	दीवाल पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी खपरा फर्श कच्चा	12.00	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी खपरा फर्श कच्चा	16.80		
					कुल योग:-	42.72		
					दीवाल पत्थर मिट्टी की छत टीनशेड फर्श कच्चा।	18.90		
					दीवाल पत्थर मिट्टी की छत खपरा फर्श कच्चा	31.20		
					दीवाल पत्थर मिट्टी की छत खपरा फर्श कच्चा	19.00		
120	शासकीय आबादी	238	1.110	धरमू पिता पंचे	शौचालय	1.44	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी की छत खपरा फर्श कच्चा	18.60		
					निरंक	0.00		
					निरंक	0.00		
					कुल योग:-	89.14		
					दीवाल पत्थर मिट्टी की छत खपरा फर्श कच्चा	30.02		
121					दीवाल पत्थर मिट्टी की छत टीनशेड फर्श कच्चा	24.49	निरंक	हाँ
					कुल योग:-	54.51		
122					राजघर पिता धरमचंद्र		राजघर पिता धरमचंद्र	हाँ
					घनश्याम पिता धरमचंद्र			
123	शासकीय आबादी	238	1.110	हरीराम पिता पंचे सौर	कुल योग:-	64.51	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी की छत खपरा फर्श कच्चा			
					दीवाल पत्थर मिट्टी की छत टीनशेड फर्श कच्चा			

124	शासकीय आबादी	238	1.110	शिवराम पिता भन्नू चडार	दीवाल पत्थर मिट्टी की छत खपरा फर्श कच्चा दीवाल पत्थर मिट्टी की छत टीनशेड फर्श कच्चा	32.67 29.70	निरंक	हाँ
					कुल योग:-	62.37		
125	शासकीय आबादी	238	1.110	मन्नू पिता सुके चडार	दीवाल ईट पत्थर की लकड़ी पाटे फर्श कच्चा मुख्यमंत्री आवास योजना गोशाला	34.71 40.26	निरंक	हाँ
	शासकीय	197/1	30.060		शौचालय पक्का	1.44		
126					दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पन्नी, फर्श कच्चा, भूसाघर निरंक	16.92 0.00	निरंक	नहीं
					कुल योग:-	93.33	धीरज पिता मन्नू	हाँ
127	शासकीय आबादी	238	1.110	लटोरी पिता सुके चडार	दीवाल मिट्टी की छत खपरा फर्श कच्चा दीवाल ईट पत्थर की लकड़ी पाटे फर्श कच्चा दीवाल पत्थर मिट्टी की छत टीनशेड फर्श कच्चा दहलान झोपड़ी पन्नी लकड़ी शौचालय पक्का नहानी ओपन कच्ची दीवाल पत्थर मिट्टी की	28.71 16.80 22.62 10.26 1.44 4.00 6.20	निरंक	हाँ
					कुल योग:-	90.03		
128	शासकीय आबादी	238	1.110	प्रानसींग पिता लटोरी चडार	दीवाल ईट पत्थर की लकड़ी पाटे फर्श कच्चा दीवाल पत्थर मिट्टी की छत टीनशेड फर्श कच्चा शौचालय पक्का दीवाल पत्थर मिट्टी की दीवाल पत्थर मिट्टी की	16.80 20.10 1.44 7.00 9.18	निरंक	हाँ
					कुल योग:-	54.52		
129	शासकीय आबादी	238	1.110	नथू पिता प्यारेलाल सौर	दीवाल ईट पत्थर की लकड़ी पाटे फर्श कच्चा दीवाल पत्थर मिट्टी की छत टीनशेड फर्श कच्चा दीवाल लकड़ी की पन्नी की फर्श कच्चा लकड़ी पन्नी का घर लकड़ी का घर शौचालय पक्का निरंक	15.50 12.00 17.50 19.80 14.10 1.44 0.00	निरंक	हाँ
130					कुल योग:-	80.34	संजय सौर पिता नथू सौर	हाँ

131	शासकीय आबादी	238	1.110	घनश्याम पिता नन्धू सौर	दीवाल ईट पत्थर की लकड़ी पाटे फर्श कच्चा	24.18	निरंक	हाँ
					दीवाल ईट पत्थर की लकड़ी पाटे फर्श कच्चा दहलान	12.40		
					आंगन ओपन कच्चा	1.44		
132	शासकीय आबादी	238	1.110	इमरत पिता रामदीन प्रजापति	कुल योग:-	38.02	निरंक	हाँ
					दीवाल ईट पत्थर की छत खपरा फर्श कच्चा	38.64		
133	शासकीय आबादी	238	1.110	बलराम उफ बल्लू पिता इमरत प्रजापति	दीवाल पत्थर की लकड़ी पाटे फर्श कच्चा	9.99	निरंक	हाँ
					कुल योग:-	48.63		
134	शासकीय आबादी	238	1.110	पूरन पिता गौरेलाल सौर	दीवाल पत्थर मिट्टी की छत खपरा फर्श कच्चा	36.40	निरंक	हाँ
					दहलान गौशाला	12.10		
135	शासकीय आबादी	238	1.110	मनोहर सिंह पिता राजेन्द्र सिंह दांगी	दीवाल पत्थर मिट्टी की छत खपरा फर्श कच्चा	7.56	निरंक	हाँ
					शौचालय पक्का	1.44		
136	शासकीय आबादी	252	1.160	रघुराजसिंह पिता फूलसिंह राजपूत	कुल योग:-	57.50	निरंक	हाँ
					दीवाल ईट की पक्की छत आर सी.सी. फर्शी फर्श पक्का भू-तल	20.40		
136	शासकीय आबादी	238	1.110		दीवाल ईट की पक्की छत आर सी.सी. फर्शी फर्श पक्का प्रथम तल	25.23	निरंक	हाँ
					सीड़ी	45.36		
					शौचालय पक्का	3.50		
					दीवाल पत्थर की पक्की छत सीमेट सीट फर्श कच्चा	1.44		
					दीवाल पत्थर की छत टीनशेड फर्श कच्चा	42.84		
					कुल योग:-	30.60		
					कुल योग:-	223.02		

137	शासकीय आबादी	252	1.160	ब्रजेन्द्र सिंह पिता रघुराजसिंह राजपूत	दीवाल ईट की पकड़ी छत गाटर फर्शी फर्श पक्का	30.66	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर की पकड़ी छत लकड़ी पाटे फर्श कच्चा गौशाला	38.76		
					दीवाल ईट की छत लोहा टीनशेड फर्श पटिया	43.52		
					मकान पक्का	5.88		
					शौचालय	2.55		
					दीवाल ईट पत्थर की लकड़ी पाटे फर्श कच्चा	17.22		
					कुल योग:-	138.59		
138	शासकीय आबादी	252	1.160	अजय सिंह पिता रामेश्वर राजपूत	दीवार पत्थर मिट्टी की पाटे लकड़ी खपरा फर्श कच्चा।	30.15	निरंक	हाँ
					दीवार पत्थर मिट्टी की पाटे लकड़ी खपरा फर्श कच्चा।	30.15		
					दीवाल ईट की पकड़ी छत आर सी सी फर्शी फर्श पक्का	29.16		
					टीनशेड पटिया	17.42		
					भूषाघर	25.92		
					कुल योग:-	132.80		
					दीवार पत्थर की छत पाटे फर्श पटिया	59.85		
139	शासकीयआबादी	252	1.160	रमेशसिंह पिता खुशीलाल सिंह	दीवार पत्थर की छत पाटे फर्श पटिया	59.85	निरंक	हाँ
					दीवार पत्थर की छत पाटे फर्श पटिया	59.85		
					दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पाटे फर्श कच्चा	22.44		
					दीवार पत्थर की उचाई	15.75		
					कुल योग:-	157.89		
					दीवार पत्थर की छत लकड़ी फर्श पक्का	50.00		
					दीवाल ईट की पकड़ी गाटर फर्शी फर्श पक्का	21.35		
140	शासकीय आबादी	252	1.160	लक्ष्मी प्रसाद पिता रामगुलाम ब्राह्म	दीवाल पत्थर मिट्टी की पाटे लकड़ी खपरा फर्श कच्चा दहलान	17.00	निरंक	हाँ
					शौचालय	2.72		
					निरंक	0.00		
					कुल योग:-	91.07		
					दीवार ईट पत्थर की लकड़ी पाटे फर्श कच्चा।	35.20		
141	शासकीय आबादी	252	1.160	प्रेमबाई पति रामेश्वर सिंह राजपूत	दीवार ईट पत्थर की लकड़ी पाटे फर्श कच्चा।	16.34	निरंक	नहीं
					डबल मंजिल			
142	शासकीय आबादी	252	1.160		दीवार ईट पत्थर की लकड़ी पाटे फर्श कच्चा।		निरंक	नहीं

					दीवार ईट पत्थर की लकड़ी पाटे फर्श कच्चा डबल मैंजिलं	16.34		
					शीचालय	7.04		
					कुल योग—	74.92		
143	महनाजाट	252	1.160	प्रहलाद सिंह पिता मोहन सिंह दांगी	दीवार पत्थर की छत टीनशेड फर्श पटिया।	40.12	निरंक	हाँ
					दीवार पत्थर की छत लकड़ी की खपरा फर्श पटिया गौशाला	41.30		
					दीवार पत्थर की छत लकड़ी की खपरा फर्श पटिया	86.14		
					दीवार पत्थर की छत लकड़ी की खपरा फर्श पटिया दहलान	28.32		
					दीवाल पत्थर की पक्की छत फर्श पक्का	44.16		
					दीवार पत्थर की पाटे फर्श पक्का	10.85		
					नहानी पक्की	17.50		
					जीना	4.84		
					कुल योग—	273.23		
144	शासकीय आबादी	252	1.160	वीरेन्द्र पिता प्रहलाद सिंह	दीवाल ईट की पक्की छत आर सी सी ।	23.80	निरंक	हाँ
					दीवाल ईट की पक्की छत पाटे की फर्श पक्का	25.55		
					दीवार पत्थर की छत लकड़ी की खपरा फर्श पटिया	51.52		
					दीवार पत्थर की छत लकड़ी की खपरा फर्श पटिया	46.50		
					दीवार पत्थर की छत लकड़ी की खपरा फर्श पटिया	27.44		
					दीवार पत्थर की छत लकड़ी की खपरा फर्श पक्का ।	31.16		
					दीवार पत्थर की छत लकड़ी की खपरा फर्श पक्का ।	31.16		
					दीवार पत्थर की छत आर सी सी फर्श पक्का ।	9.50		
					दहलान पाटे की ।	6.97		
					टीनशेड	25.16		
145					निरंक	0.00	रविन्द्र सिंह पिता वीरेन्द्र सिंह दांगी	हाँ

146					निरंक	0.00	मेघा सिंह पिता वीरेन्द्र सिंह दामी	हाँ
147					निरंक	0.00	आर्यमान सिंह पिता वीरेन्द्र सिंह	हाँ
					कुल योग:-			
					278.76			
148	रामरतन पिता दरयाव सिंह राजपूत	291/342	0.090	हाकम सिंह पिता रामरतन सिंह	दीवार ईट की छत टीनशेड फर्श कच्चा	18.8	निरंक	नहीं
					दीवार लकड़ी के पीलर छत लकड़ी पन्नी फर्श कच्चा	17.16		
					दीवार ईट की छत टीनशेड फर्श कच्चा	11.2		
					कुल योग:-			
					35.96			
149	खुशीलाल पिता दरयावसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	226/2	0.040	राजीत सिंह पिता खुशीलाल सिंह दामी	दीवार पत्थर की छत पाटे फर्श पटिया गौशाला	38.13	निरंक	नहीं
					दीवार पत्थर की छत लकड़ी, टीनशेड फर्श पटिया गौशाला	39.99		
					पानी की टंकी	1.17		
					कुल योग:-			
					79.29			
150	संतोष कुमार पिता शिखर चंद जैन	170	0.080	संतोष कुमार पिता शिखर चंद जैन	दीवार ईट की पक्की, छत टीनशेड , फर्श पक्का, भूसाधर	66.00	निरंक	नहीं
					दीवार ईट की लकड़ी पाटे फर्श पटिया की	30.60		
					दीवार ईट की पक्की, छत लकड़ी नाटे पाटे फर्श पटिया	70.04		
					दीवार ईट की पक्की, छत लकड़ी नाटे पाटे फर्श पटिया	36.48		
					दीवार ईट की पक्की, छत लकड़ी नाटे पाटे फर्श पटिया	54.24		
					दीवार ईट की , छत लकड़ी पाटे फर्श पटिया की	18.72		
					दीवार ईट की पक्की, छत आर सी सी फर्श पक्का	18.72		
					दीवार ईट की पक्की, छत आर सी सी फर्श पक्का	46.40		
					दीवार ईट की पक्की, छत पाटे फर्श कच्चा	18.29		
					चबूतरा पत्थर का	12.71		
					चबूतरा पत्थर का	9.92		
					दीवार ईट की पक्की, छत पोशे, फर्श पक्का	15.73		
					दीवार ईट की, छत पोशे, फर्श पक्का	397.85		
151	रामबाबू सिंह किशनसिंह पिता दरयाव सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	179	0.040	रामकिशन सिंह राजपूत पिता फूलसिंह	दीवार ईट की पक्की, छत पाटे की, फर्श पक्का डबल मंजिल	12.88	निरंक	नहीं
					दीवार ईट की पक्की, छत पाटे की, फर्श पक्का डबल मंजिल	12.88		
					दीवार ईट की पक्की, छत गाटर फर्शी, फर्श पक्का	66.40		

151	शासकीय आवादी	238	1.110		छत लोहे का गाटर टीनरोड फर्श पक्का	18.49		
					शौचालय	6.75		
					दीवार ईट की छत, आर.सी.सी. फर्श पक्का	31.64		
					दीवाल ईट की छत खपरैल फर्श कच्चा	43.86		
					दीवाल पत्थर की	10.44		
					कुल योग:-	203.34		
152	शासकीय	197/1	30.60	महेन्द्र पिता कम्मोद अहिरवार	दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पाटे, फर्श कच्चा	23.56	निरंक	नहीं
					दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पाटे, फर्श कच्चा, भूसाधर	9.66		
					दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पाटे, फर्श कच्चा दहलान	4.60		
					नहानी पक्की	4.00		
					शौचालय	1.44		
					कुल योग:-	43.26		
153	शासकीय	197/1	30.060	सोनू पिता बसत अहिरवार	दीवाल पत्थर की छत लकड़ी/नाटे/पाटे फर्श कच्चा	19.60	निरंक	नहीं
					दीवाल पत्थर की छत लकड़ी/नाटे/पाटे फर्श कच्चा	12.25		
					कुल योग:-	31.85		
154	शासकीय	197/1	30.060	भगवानदास पिता बल्लू अहिरवार	दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी खपरा, फर्श कच्चा, भूसाधर	21.50	निरंक	नहीं
					कुल योग:-	21.50		
155	शासकीय	197/1	30.060	संतोष पिता साहब सिंह	दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पाटे खपरा, फर्श कच्चा भूसाधर	23.10	निरंक	नहीं
					दीवार पत्थर की पक्की, छत लकड़ी पाटे खपरा, फर्श कच्चा	11.55		
					कुल योग:-	34.65		
156	शासकीय	197/1	30.060	चिरोजीबाई पत्नि हल्काई	दीवाल ईट की छत लकड़ी पाटे खपरा फर्श कच्चा	16.20	निरंक	नहीं
					कुल योग:-	16.20		
157	शासकीय वन	199	2.770	धर्मेन्द्र पिता सवालसिंह राजपूत	दीवार पत्थर मिट्टी की छत शेष	37.80	निरंक	नहीं
					दीवाल ईट की छत गाटर फर्श पक्का	21.83		
					दीवाल ईट की छत शेष	15.54		
					कुल योग:-	75.17		

158	शासकीय वन	232/1	2.040	सलतू पिता राजाराम	शौचालय पक्का	1.44	निरंक	नहीं
					कुल योग:-	1.44		
159	शासकीय वन	232/1	2.040	बाबूलाल पिता गुलाब अहिरवार	दीवाल ईट की छत टीनशेड फर्श कच्चा दीवाल पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पन्नी की फर्श कच्चा नहानी ओपन कच्ची	32.55 26.04 4.00	निरंक	नहीं
					कुल योग:-	62.59		
160	शासकीय वन	232/1	2.040	दीनदयाल पिता धनु	दीवाल ईट की छत टीनशेड फर्श कच्चा कुल योग:-	28.42 28.42	निरंक	नहीं
161	शासकीय वन	232/1	2.040	सुकुनबाई पति कडोरी	दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी पाटे खपरा फर्श कच्चा कुल योग:-	12.48	निरंक	नहीं
162	शासकीय वन	232/1	2.040	राजरानी पति रघुवीर अहिरवार	दीवार ईट की, छत टीनशेड, फर्श कच्चा दीवार ईट की, छत टीनशेड, फर्श कच्चा कुल योग:-	16.34 9.46 25.80	निरंक	नहीं
163	शासकीय वन	232/1	2.040	चरणसिंह पिता मिहीलाल	शौचालय पक्का	1.44	निरंक	नहीं
					कुल योग:-	1.44		
164	शासकीय चारागाह	233	7.523	गुड्डू रैकवार पिता मुलू	दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत टीनशेड फर्श कच्चा। दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत लकड़ी पाटे खपरा, फर्श कच्चा। दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत लकड़ी पन्नी फर्श कच्चा, गौशाला। दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत लकड़ी पन्नी फर्श कच्चा, भूषाघर। लकड़ी पन्नी की दहलान मुर्गी पालन घर	15.20 15.08 28.80 20.40 15.60 5.32	निरंक	नहीं
					कुल योग:-	100.40		
165	शासकीय चारागाह	233	7.523	परमानंद पिता मानसींग	दीवाल पत्थर की पन्नी फर्श कच्चा गौशाला दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी पाटे खपरा फर्श कच्चा	21.30 10.80	निरंक	नहीं
					कुल योग:-	32.10		
166	शासकीय आबादी	234/2	1.200	चंद्रभान सिंह पिता बहादुरसिंह	दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत टीनशेड, फर्श कच्चा।	25.52	निरंक	नहीं
					कुल योग:-	25.52		

167	शासकीय आबादी	234/2	1.200	बहादुर पिता गुलाबसिंह दांगी	दीवाल ईट की पक्की छत लकड़ी पाटो की सी सी फर्श पक्का	32.76	निरंक	नहीं
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी पन्नी फर्श कच्चा गौशाला	19.72		
					शौचालय	2.56		
					दीवाल ईट की पक्की छत लकड़ी पाटो की सी सी फर्श पक्का	39.00		
					दीवाल ईट की बाउण्डीवाल	17.94		
					दीवाल पत्थर की पक्की	5.10		
						कुल योग:-	117.08	
168	शासकीय आबादी	234/2	1.200	भूपेन्द्र पिता मर्दन सिंह दांगी	दीवाल पत्थर की लकड़ी पाटे फर्श कच्चा आवासीय।	15.40	निरंक	नहीं
						कुल योग:-	15.40	
169	शासकीय आबादी	234/2	1.200	जगदीश पिता परमानंद सौर	दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा	9.75	निरंक	नहीं
					कुल योग:-	9.75		
170	शासकीय आबादी	238	1.110	मालिक सिंह पिता रंजीत सिंह ठाकुर	दीवाल पत्थर मिट्टी छत शेष क्षतिग्रस्त।	51.98	निरंक	नहीं
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत शेष क्षतिग्रस्त दहलान।	24.86		
					खण्डहर क्षतिग्रस्त	20.52		
					कुल योग:-	97.36		
170	शासकीय आबादी	238	1.110	ऊधम पिता गोरेलाल आदिवासी	दीवाल पत्थर मिट्टी की छत खपरा फर्श कच्चा	28.47	निरंक	नहीं
						कुल योग:-	28.47	
172	शासकीय आबादी	252	1.160	अरविन्द सिंह पिता रघुराजसिंह राजपूत	दीवाल पत्थर की पक्की छत लकड़ी पाटे फर्श कच्चा	29.25	निरंक	नहीं
					दीवाल पत्थर की पक्की छत लकड़ी पाटे फर्श कच्चा दहलान	19.50		
					दीवाल ईट की पक्की छत गाटर फर्शी फर्श पक्का	11.76		
					शौचालय	5.88		
					दीवाल पत्थर की पक्की छत लकड़ी पाटे फर्श कच्चा	32.04		
					दीवाल पत्थर की पक्की छत लकड़ी पाटे फर्श कच्चा	21.36		
					कुल योग:-	119.79		
					महायोग:-	9500.17		

2— परियोजनानामंतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीं का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:—

- (1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्भित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
- (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्भित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
- (5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना ; या
- (ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रुपये का एक बारगी संदाय ; या
- (ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।
- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- (7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- (8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।
- (9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार “पुनर्व्यवस्थापन भत्ता” दिया जाएगा।
- (11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- (12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
- (13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।

- (14) अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्च पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।
- (14.1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- (14.2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- (14.3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- (14.4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- (14.5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- (14.6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- (14.7) यथोचित पंचायत घर
- (14.8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।
- (14.9) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- (14.10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- (14.11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- (14.12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- (14.13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
- (14.14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
- (14.15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- (14.16) बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
- (14.17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- (14.18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक समा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
- (14.19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
- (14.20) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
- (15) प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील खुरझ के ग्राम जगदीशपुरा में शासकीय भूमि खसरा नम्बर 57 का कुल रकवा 15.460 है, में से रकवा 13.71 है, भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-0102अ/19(3) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 03/03/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है तथा भीजा जगदीशपुरा स्थित भूमिस्वामी स्वतंत्र की भूमि खसरा नंबर 49, 52 रकवा क्रमांक 7, 130, 0.930 है, भूमि प्रभावित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु अर्जित की गई है जिरा पर हनौता सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक-एक 50X20 वर्गफुट का आवासीय भू-खण्ड आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी।

- (16) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।
- (17) अधिनियम की धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकर्ता और पुर्नवास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खुरई जिला सागर के कार्यालय में दिनांक/...../2023 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खुरई जिला सागर एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग हनौता सिंचाई परियोजना सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन), कटनी, जिला कटनी, मध्यप्रदेश

क्र. 3487—प्रवा.—जि.भू.अ.अ.—2023

कटनी, दिनांक 17 अप्रैल 2023

प्रकरण क्रमांक- 0001/अ-82/2019-2020

चूंकि म0प्र0 शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 12/11/2014 एवं राजपत्र दिनांक 14/11/2014 के अंतर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिए समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम लोक निर्माण सेतु संभाग रीवा उपसंभाग शहडोल के बरनमहगां-सुतरी-खरहटा मार्ग पर उमरार नदी सुतरी घाट पर पुल निर्माण योजना के शीर्ष कार्य से प्रभावित ग्राम सुतरी की भूमि की आवश्यकता है। जिसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमिस्वामी द्वारा नीति की कण्डिका-10 के अंतर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "छ" में सहमति प्रस्तुत कर दी है।

क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कण्डिका 11(१) के अंतर्गत सर्वाधारण की सूचना के लिए यह सूचना जारी की जा रही है कि भूमि विभाग के पक्ष में क्रय किए जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो यह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयराघवगढ़/बरही जिला कटनी में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है। नियम अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

आपसी क्रय नीति के तहत क्रय किए जाने वाली भूमियों का विवरण
ग्राम सुतरी पटवारी हल्का नं. 16 राजनियम 0- बरही तहसील-बरही जिला-कटनी

क्र.	ग्राम का नाम	प.ह. नं.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नं.	कुल रकवा	क्रय रकवा(हे./वर्ग मीटर)
1	सुतरी	16	मु. जुगुन्तीबाई पत्नी स्व. रनमत, मुन्नीबाई, भग्नो बाई, बुड़या बाई आ. रनमत, हरिआ आ. सुखुवा, सब्भा, पुन्ना आ. छोटी, राजकुमार आ. नम्मी, विल्ली पुत्री छोटी, बशरह भूमिया	592/1 592/2 592/3	0.110 0.110 0.110	0.010 हे./100 वर्ग मीटर
2	सुतरी	16	अर्जुन आ. मल्ला जाति भूमिया	593	0.240	0.121 हे./ 1210 वर्ग मी.
3	सुतरी	16	बाला प्रसाद, अम्बिका प्र., कोमल, गोविंददास, रघुनाथ आ. रामदयाल दाहिया पता- निवासी ग्राम भूमिस्वामी	594	0.810	0.004 हे./ 40 वर्ग मीटर
			योग		1.380	0.135 हे./ 1350 वर्गमीटर

अवि प्रसाद, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 3 मई 2023

प्रकरण क्रमांक 011/अ-82/2022-23 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

-: अनुसूची :-

भूमि का वर्णन

- (क) जिला - सीहोर
- (ख) तहसील - श्यामपुर
- (ग) ग्राम - बमुलिया दोराहा
- (घ) क्षेत्रफल - 2.384 हें.

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्व नंबर	कुल रकवा	अर्जित रकवा	स्थित परिस्थिति	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	मकसुदअली पुत्र इरशाकअली जाति सैयद हि. 1/5, इरशादअली पुत्र इरशाकअली जाति सैयद हि. 1/5, अशफाकअली पुत्र इरशाकअली जाति सैयद हि. 1/5, बाहीदअली पुत्र इरशाकअली जाति सैयद हि. 1/5, बन्नोबी बेवा इरशाकअली रईशा लईका तमनना सलमा पुत्रीया इरशाकअली जाति सैयद हि. 1/5 पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	2/1/1	2.239	0.200		

2	सचिव नरेदाननंद पिता मदनलाल दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थन द्वारा जाति अन्य पता नई दिल्ली दिल्ली भूमि स्वामी	15/4/1 18/1/1	0.331 1.846	0.040 0.330		
3	अमरसिंह पुत्र खुशीलाल जाति चमार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	26/6/1	0.948	0.348		
4	भंवरजी पुत्र नाथूराम जाति चमार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	57/3/1	0.374	0.040		
5	ब्रजकिशोर पिता श्रीलाल जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	62/4	2.051	0.350		
6	वृन्दावनबा ज्ञानसिंह सोनु पिता सुकराम रेखा बा लक्ष्मी रानी विद्या ना बा पुत्री सुकराम कलाबाई बेवा सुकराम सर माता स्वयं जाति चमार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	57/1	0.385	0.385		
7	ज्ञायदाबी पत्नी कमर अली जाति सैष्यद पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	39/1/2	0.348	0.348		
8	कपिल पिता धन सिंह जाति जाट निवासी पड़याला सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	70/5/1	1.598	0.242		
9	लाखन पिता धन सिंह जाति जाट निवासी पड़याला सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	70/2/2	0.856	0.101	पक्का कुआं	
	कुल योग :-	10	10.976	2.384		

1. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक 018/अ-82/2022-23 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

-: अनुसूची :-

भूमि का वर्णन

(क) जिला—सीहोर, (ख) तहसील—श्यामपुर, (ग) ग्राम—घाटपलासी, (घ) क्षेत्रफल—3.058 हे.

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा	स्थित परिस्थिति	रिमांक
1	2	3	4	5	6	7
1	कमलसिंह पुत्र कालूराम जाति बंजारा पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	5/3/1	0.439	0.070		
2	कल्लूराम पिता सेवाराम जाति बंजारा पता घाटपलासी श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	8/2/1	0.708	0.020		
3	कमलबाई बेवा जेगन्नाथ दशरथसिंह पर्वतसिंह जितेन्द्र पुत्र जगन्नाथ द्वोपती बाई सुधाबाई फुल्लाबाई पुत्रिया जगन्नाथ जाति दांगी पता श्यामपुर सीहोर म प्र भूस्वामी	50/2/1	1.599	0.040		

१४	नवलसिंह पुत्र गोपीलाल जाति बंजारा पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	26/1/1	0.099	0.040		
५	शौकीनखां पुत्र हीरेखां जाति सैयद पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	26/27/1	0.611	0.225		
६	मांगीलाल पुत्र जगन्नाथ जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	27/3/1/1	4.286	0.324		
७	मोरसिंह पुत्र गोपी जाति बंजारा पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	26/29/1	0.517	0.150		
८	बल्दार पुत्र नंदा जाति बंजारा पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	8/8/2/1	0.092	0.060		
९	प्रेमनारायण पुत्र परसराम जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	175/1/1	1.416	0.170		
१०	माजिद खान पिता छोटेखां जाति लेवाती पता श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	174/7/1	0.474	0.125		
११	देवेन्द्र पिता मांगीलाल जाति दांगी पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	81/2	0.419	0.050		
१२	कस्तुरी बाई बेवा दौलतसिंह जाति बंजारा पता घाटपलासी सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	26/24	0.161	0.100		
१३	बद्रीप्रसाद पुत्र बापूलाल जाति पाटीदार पता घाटपलासी सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	45/5/1	0.235	0.040		
१४	प्रेमनारायण पिता उकारसिंह हि. १/५, हेमसिंह पिता उकार हि. १/५, कमलीबाई पुत्री उकार हि. १/५, सजनीबाई पुत्री उकार हि. १/५, कस्तुरीबाई बेवा दौलतराम लखन पिता दौलतराम हि. १/५ जाति बंजारा पता घाटपलासी सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	45/5/2	0.129	0.050		
१५	छोटेखां पुत्र कल्लूखां जाति सैयद पता घाटपलासी सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	26/26	0.911	0.160		
१६	रमियाबाई पत्नी प्रेमनारायण जाति बंजारा पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	26/33	0.147	0.060		
१७	गणेशराम पुत्र गोरेलाल जाति बंजारा पता घाटपलासी सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	26/13	0.060	0.030		
१८	सुधा अहिरवार पत्नी एस एल अहिरवार जाति अहिरवार पता भोपाल भूमि स्वामी	27/2 28/2	4.047	0.809	ट्यूबेल	
१९	रवि कुमार पुत्र रमेश जाति ब्राह्मण पता नि ग्राम भूमि स्वामी सीहोर मध्य प्रदेश	472/2/1	1.987	0.105	ट्यूबेल	
२०	टीकाराम पुत्र बलदेव जाति चमार पता नि ग्राम भूमि स्वामी सीहोर मध्य प्रदेश	45/4	0.518	0.030		
२१	सहाना पत्नी असद जाति मेवाती पता नि ग्राम भूमि स्वामी सीहोर मध्य प्रदेश	45/13	0.281	0.090	कुआ	
२२	बद्रीप्रसाद पुत्र हरभजन जाति नाई पता घाटपलासी सीहोर मध्य प्रदेश	79/2	1.795	0.200		
२३	जयराम पुत्र गंगाराम जाति बंजारा पता घाटपलासी सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	45/10	0.405	0.110		
	कुल योग :-	23	21.336	3.058		

1. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं मू-अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक १९/अ-८२/२०२२-२३ चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

-: अनुसूची :-

भूमि का वर्णन

(क) जिला—सीहोर, (ख) तहसील—श्यामपुर, (ग) ग्राम—छतरपुरा, (घ) क्षेत्रफल—2.866 हे.

संख्या	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा	स्थित परिसम्पत्ति	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	सौरभबाई पली छोटेलाल नानीबाई पति कमलसिंह कोमलबाई पति ज्वालाप्रसाद जाति चमार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	2/5/2/2	0.525	0.270	कुआ	
2	ईमरतसिंह पिता दौलतीप्रसाद जाति कुडमी पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	54/1/2	0.283	0.283		
3	घनश्याम पिता मोतीलाल जाति कुडमी पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	54/2/2	0.308	0.308		
4	रामनारायण पुत्र जगन्नाथ जाति कुडमी पता सादेह सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	56/2	0.568	0.180	ट्यूबेल	
5	महेश पिता लीलाकिशन रीना पुत्री लीलाकिशन जाति कुडमी पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	56/3	0.263	0.263	ट्यूबेल	
6	बंशीलाल पिता गोरेलाल जाति कुडमी पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	58/7	0.612	0.250	ट्यूबेल	
7	रामप्रसाद आ॒ सरदार जाति सेरिया निवासी ग्राम छतरपुरा अहसांतरीण	61/3	2.000	1.312		
	कुल योग :-	7	4.559	2.866		

1. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रवीण कुमार अढायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 मई 2023

क्रमांक- Rev.6-0004/2022/सात/शा-7, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जिला सीहोर में नवीन तहसील दोराहा का सृजन किया जाता है, जिसमें तहसील श्यामपुर के पटवारी हल्का नम्बर 16, 23 से 31 एवं 52 से 67 कुल 26 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। दोराहा तहसील के गठन पश्चात शेष श्यामपुर तहसील में पटवारी हल्का नम्बर 1 से 15, 17 से 22, 32 से 51 कुल 41 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नेहा मारव्या, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 मई 2023

क्र. Rev.6-0004-2022-सात-शा-7.—भारत सरकार के अनुच्छेद 348 के खण्ड (2) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक Rev.6-0004-2022-सात-शा-7, दिनांक 12 मई, 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्रधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नेहा मारव्या, उपसचिव.

Bhopal, the 12th May, 2023

No. Rev.6-0004/2022/ VII /Sec.7- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government hereby creates the new tahsil Doraha in the district Sehore, from the date of publication of this order in the official Gazette, which would comprise of 26 patwari halkas i.e. patwari halka no. 16, 23 to 31 and 52 to 67 of tahsil Shyampur.

After the formation of Doraha Tahsil, Tahsil Shyampur will now comprise of 41 patwari halkas i.e. patwari halka no. 1 to 15, 17 to 22, 32 to 51.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
NEHA MARVYA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 12 मई 2023

क्र.-एफ- Rev.6-0009-2023-सात-शा-7.— मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959)

की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन तारीख से जिला मंदसौर में नवीन अनुविभाग मल्हारगढ़ का सृजन किया जाता है, जिसमें तहसील मल्हारगढ़ के समस्त पटवारी हल्का नम्बर 01 से 81 हल्के समाविष्ट होंगे। जिला मंदसौर में नवीन अनुविभाग मल्हारगढ़ के गठन उपरांत शेष अनुविभाग सीतामऊ में तहसील सीतामऊ के पटवारी हल्का नम्बर 01 से 74 तक एवं तहसील सुवासरा के पटवारी हल्का नम्बर 01 से 35 तक इस प्रकार कुल 109 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नेहा मारव्या, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 मई 2023

क्र.-एफ- Rev.6-0009-2023-सात-शा-7.—भारत सरकार के अनुच्छेद 348 के खण्ड (2) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक क्र.-एफ- Rev.6-0009-2023-सात-शा-7, दिनांक 12 मई, 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नेहा मारव्या, उपसचिव.

Bhopal, the 12th May, 2023

No. F-Rev-6-0009-2003-VII-Sec.-7.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, creates new sub-division Malhargarh in District Mandsaur from the date of publication of this order in the Gazette, which would comprise of all patwari halka no. 01 to 81 of Tahsil Malhargarh.

After the creation of Sub-division Malhargarh in district Mandsaur, Sub-division Sitamau would now comprise of 109 patwari halkas i.e. patwari halka no. 01 to 74 of Tahsil Sitamau and patwari halka no. 01 to 35 of Tahsil Suwasra.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
NEHA MARVYA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 12 मई 2023

क्रमांक- एफ-01-04/2022/सात/शा-7, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जिला छतरपुर में नवीन अनुविभाग गौरीहार का सृजन किया जाता है, जिसमें तहसील गौरीहार के समस्त पटवारी हल्का नम्बर 01 से 74 तक इस प्रकार कुल 74 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। गौरीहार अनुविभाग के गठन पश्चात, शेष अनुविभाग लवकुशनगर में तहसील लवकुशनगर के पटवारी हल्का नम्बर 01 से 28 तक, कुल 28 पटवारी हल्के एवं तहसील चंदला के पटवारी हल्का नम्बर 01 से 39 तक कुल 39 पटवारी हल्के इस प्रकार कुल 67 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नेहा मारव्या, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 मई 2023

क्र.-एफ-01-04-2022-सात-शा-7.—भारत सरकार के अनुच्छेद 348 के खण्ड (2) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक क्र.-एफ-01-04-2022-सात-शा-7, दिनांक 12 मई, 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नेहा मारव्या, उपसचिव.

Bhopal, the 12th May, 2023

No. F- 01-04/2022/ VII /Sec.7- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, creates new sub-division Gaurihar in the District Chhatarpur from the date of publication of this order in the Gazette, which would comprise of all the 74 patwari halkas i.e. patwari halka no. 01 to 74 of the tahsil Gaurihar.

After the formation of sub-division Gaurihar, the Sub-division Lavkushnagar will now comprise of 67 patwari halkas i.e. patwari halka no. 01 to 28 in total 28 patwari halkas of tahsil Lavkushnagar and patwari halka no. 01 to 39 in total 39 patwari halkas of tahsil Chandla.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
NEHA MARVYAA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 12 मई 2023

क्रमांक- एफ-01-10/2021/सात/शा-7, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जिला देवास में नवीन अनुविभाग टॉकखुर्द का सृजन किया जाता है, जिसमें तहसील टॉकखुर्द के समस्त 60 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। जिला देवास में अनुविभाग टॉकखुर्द के गठन उपरांत शेष सोनकच्छ अनुविभाग में तहसील सोनकच्छ के सम्पूर्ण 69 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नेहा मारव्या, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 मई 2023

क्र.-एफ-01-10-2021-सात-शा-7.—भारत सरकार के अनुच्छेद 348 के खण्ड (2) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक क्र.-एफ-01-10-2021-सात-शा-7, दिनांक 12 मई, 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नेहा मारव्या, उपसचिव.

Bhopal, the 12th May, 2023

No. F- 01-10/2021/ VII /Sec.7- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, creates new sub-division TonkKhurd in District Dewas from the date of publication of this order in the Gazette, which would comprise of all the 60 patwari halkas of tahsil TonkKhurd.

After the formation of Sub-division TonkKhurd in the district Dewas, the Sub-division Sonkutchh will now comprise of all the 69 patwari halkas of the tahsil Sonkutchh.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
NEHA MARVYA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 12 मई 2023

क्रमांक- एफ-01-18/2022/सात/शा-7, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जिला खण्डवा में नवीन अनुविभाग खालवा का सृजन किया जाता है, जिसमें तहसील खालवा के रा.नि.मं. आशापुर के प.ह.न. 01 से 06, 8 से 15, 43 से 49, 51, 52, कुल 23 पटवारी हल्के, रा.नि.मं. खालवा के प.ह.न. 07, 16 से 39 तक कुल 25 पटवारी हल्के तथा रा.नि.मं. रोशनी के प.ह.न. 40 से 42, 50, 53 से 71 कुल 23 पटवारी हल्के इस प्रकार कुल 71 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। अनुविभाग खालवा के सृजन उपरांत शेष अनुविभाग हरसूद में तहसील हरसूद के रा.नि.मं. किल्लौद के प.ह.न. 1 से 16 व रा.नि.मं. हरसूद के पटवारी हल्का 17 से 33 तथा रा.नि.मं. छनेरा के प.ह.न. 34 से 50 इस प्रकार कुल 50 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नेहा मारव्या, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 मई 2023

क्र.-एफ-01-18-2022-सात-शा-7.—भारत सरकार के अनुच्छेद 348 के खण्ड (2) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक क्र.-एफ-01-18-2022-सात-शा-7, दिनांक 12 मई, 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नेहा मारव्या, उपसचिव.

Bhopal, the 12th May, 2023

No. F- 01-18/2022/ VII /Sec. 7- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, creates new sub-division Khalwa in District Khandwa from the date of publication of this order in the Gazette, which would comprise of total 71 patwari halkas i.e. patwari halka no. 01 to 06, 8 to 15, 43 to 49, 51, 52 a total 23 patwari halka of R.I. circle Aashapur, patwari halka no. 07, 16 to 39 a total of 25 patwari halka of R.I. circle Khalwa and patwari halka no. 40 to 42, 50, 53 to 71 a total of 23 patwari halka of R.I. circle Roshni.

After the formation of Sub-division Khalwa, the Sub-division Harsud, will now comprise of total 50 patwari halkas i.e. patwari halka no. 1 to 16 of R.I. circle Killaud, patwari halka no.17 to 33 of R.I.circle Harsud and patwari halka no.34 to 50 of R.I. circle Chhanera.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
NEHA MARVYAA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 12 मई 2023

क्रमांक- एफ-01-20/2022/सात/शा-7, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जिला सागर में नवीन अनुविभाग जैसीनगर का सृजन किया जाता है, जिसमें तहसील जैसीनगर रा.नि.मण्डल जैसीनगर 01 के पटवारी हल्का क्रमांक 174 से 188 तक 15 हल्के, रा.नि.म. सेमाढाना 02 के पटवारी हल्का क्रमांक 150 से 173 तक 24 हल्के एवं रा.नि.म. बिलहरा 03 के पटवारी हल्का क्रमांक 127 से 149 तक 23 हल्के इस प्रकार कुल 62 हल्के समाविष्ट होंगे। नवीन अनुविभाग जैसीनगर के गठन उपरांत शेष सागर अनुविभाग में तहसील सागर (नगर) के कुल 22 हल्के और तहसील सागर (ग्रामीण) के 104 हल्के इस प्रकार कुल 126 हल्के समाविष्ट होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नेहा मारव्या, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 मई 2023

क्र.-एफ-01-20-2022-सात-शा-7.—भारत सरकार के अनुच्छेद 348 के खण्ड (2) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक क्र.-एफ-01-20-2022-सात-शा-7, दिनांक 12 मई, 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नेहा मारव्या, उपसचिव.

Bhopal, the 12th May, 2023

No. F- 01-20/2022/ VII /Sec.7- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, creates new sub-division Jaisinagar in the district Sagar from the date of publication of this order in the official Gazette, which would comprise of the total 62 patwari halkas i.e. patwari halka no. 174 to 188, 15 halkas of R.I. Circle Jaisinagar 01 tahsil Jaisinagar, patwari halka no. 150 to 173, 24 halkas of R.I. Circle Semadhana 02 and patwari halka no. 127 to 149, 23 halkas of R.I. Circle Bilhara 03.

After the formation of new sub-division Jaisinagar, Sub-division Sagar will now comprise of total 126 patwari halkas i.e. 22 patwari halkas of tahsil Sagar (Urban) and 104 halkas of tahsil Sagar (Rural).

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
NEHA MARVYAA, Dy. Secy.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 12 मई 2023

भू-सर्वेक्षण का प्रारंभ

क्र. -भू-सर्वेक्षण-212023-2023.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश, एतद्वारा, यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :—

अनुसूची

सरल क्र.	जिला	तहसील	ग्राम/नगर	पटवारी हल्का क्र./सेक्टर क्र.	भू-सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	इन्दौर	जूनी इन्दौर	रेसीडेन्सी एरिया	प. ह. नं. 8	नगरीय क्षेत्र

संजय गोयल, आयुक्त.

ग्वालियर, दिनांक 12 मई 2023

भू-सर्वेक्षण का प्रारंभ

क्र.-493-भू-सर्वेक्षण-17996-2023.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश, एतद्वारा, यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :—

अनुसूची

सरल क्र.	जिला	तहसील	ग्राम/नगर	पटवारी हल्का क्र./सेक्टर क्र.	भू-सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सीहोर	भैरुंदा	गिल्हौर (मूल ग्राम) मनासा (मजरा टोला)	प. ह. नं. 31	उक्त ग्रामों का सम्पूर्ण क्षेत्र (ग्रामों की आबादी क्षेत्रों को छोड़कर)

अखिलेश कुमार जैन, संयुक्त आयुक्त.